

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात और आयात

*82. श्री प्रहलाद सिंह पटेल:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारत ने अक्टूबर 2018 में 17.86 प्रतिशत वाणिज्यिक वस्तुओं का निर्यात किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने में यह कैसे लाभ पहुंचाएगा;
- (ग) उन वस्तुओं का ब्यौरा क्या है जिसे मुख्यतः देश से निर्यात किया गया है;
- (घ) तेल उत्पादों से संबंधित आयातों का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) वर्ष 2014 से आज तक भारत से निर्यात और भारत में आयात की गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री सुरेश प्रभु)

(क) से (ङ.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

बकरी के चमड़े का निर्यात

1054. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2013-14 से अब तक निर्यातित बकरी के तैयार चमड़े का देश-वार और मात्रा-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त निर्यात का निर्यात मूल्य कितना है और इससे कितना राजस्व अर्जित किया गया है; और
(ग) बकरी के तैयार चमड़े की वर्ष 2013 से आज तक विदेशों में मांग में वृद्धि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी आर चौधरी)

(क): वर्ष 2013-14 से बकरी के तैयार चमड़े के निर्यात का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है ।

(ख): ब्यौरा निम्नलिखित है:-

भारत से बकरी के तैयार चमड़े का निर्यात - मूल्य मिलियन अम.डा.में

2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
347.48	329.40	273.81	238.55	220.92

[स्रोत:वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस)]

(ग): वर्ष 2013 से 2017 के दौरान बकरी के तैयार चमड़े का वैश्विक आयात निम्नलिखित है:-

बकरी के तैयार चमड़े का वैश्विक आयात-मिलियन अम.डा.

2013	2014	2015	2016	2017
1014.55	868.84	722.12	645.16	593.10

स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केन्द्र (आईटीसी), जेनेवा

उपरोक्त आंकड़े के अनुसार, बकरी के तैयार चमड़े का वैश्विक आयात वर्ष 2013 में 1014.55 मिलियन अम.डा. से घटकर वर्ष 2017 में 593.10 मिलियन अम.डा. रह गया।

भारत से बकरी के तैयार चमड़े का निर्यात (एचएस कोड 41131000)						
क्र.सं.	देश	मात्रा हजार किलोग्राम में				
		2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	अल्बानिया	0.00	0.00	0.23	0.90	4.00
2	अमेरी समोआ	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00
3	अर्जेंटीना	0.20	0.00	0.00	0.20	0.00
4	ऑस्ट्रेलिया	8.67	27.32	36.70	39.51	39.28
5	ऑस्ट्रिया	52.27	44.46	39.36	28.31	28.81
6	बांग्लादेश पीआर	61.73	81.04	99.12	56.78	119.69
7	बेलारूस	15.53	7.91	1.64	3.36	3.73
8	बेल्जियम	0.00	0.47	0.00	0.00	1.15
9	ब्राज़ील	0.33	0.24	0.53	0.06	0.74
10	बुल्गारिया	0.49	0.88	0.33	0.20	1.00
11	कंबोडिया	59.79	105.43	123.21	101.50	58.65
12	कैमरून	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
13	कनाडा	0.80	1.00	0.61	0.38	0.44
14	चाड	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00
15	चीन पी आरपी	459.05	461.72	512.38	394.70	291.97
16	कोमोरोस	0.28	0.00	0.00	0.00	0.12
17	क्रोएशिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
18	चेक गणतंत्र	2.10	0.00	0.86	0.00	0.00
19	डेनमार्क	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	डोमिनिक गणतंत्र	1.93	3.42	5.50	0.76	0.30
21	डोमिनिका	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22	इक्वाडोर	0.00	0.00	0.55	0.00	0.00
23	एस्टोनिया	0.02	0.00	0.00	0.00	0.01
24	इथियोपिया	15.69	9.81	8.12	16.30	32.02
25	फिनलैंड	0.87	0.10	0.00	0.00	0.00
26	फ्रांस	342.05	242.44	264.85	236.51	260.68
27	जर्मनी	332.38	329.86	410.21	342.73	278.81
28	यूनान	17.30	13.64	8.16	7.16	10.52
29	हैती	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
30	होन्डुरास	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
31	हॉंगकॉंग	4057.88	3205.09	2384.57	2158.09	1765.39
32	हंगरी	17.28	17.19	16.40	23.41	22.72
33	आइसलैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
34	इंडोनेशिया	158.57	126.95	169.58	152.47	158.08
35	इजराइल	20.29	11.24	14.71	10.04	13.95
36	इटली	2113.63	2120.35	1928.54	1690.92	2046.85
37	जमैका	0.51	0.34	0.32	0.32	0.55
38	जापान	54.58	28.91	33.39	28.77	44.57
39	कोरिया डीपी आरपी	78.15	41.06	13.55	3.81	7.32
40	कोरिया आरपी	571.45	523.83	520.12	479.91	440.37
41	कुवैत	2.12	1.02	0.56	0.93	0.50
42	लाओ पीडी आरपी	0.00	1.52	0.49	0.00	0.38
43	लातविया	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
44	लेबनान	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
45	लिथुआनिया	1.99	1.90	0.00	0.50	0.56
46	मलेशिया	3.13	0.12	1.35	0.28	10.58

47	मालदीव	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
48	माल्टा	0.15	0.05	0.00	0.00	0.00
49	मॉरीशस	2.19	0.73	1.53	0.70	0.34
50	मेक्सिको	14.05	18.64	16.63	12.06	13.45
51	मोल्डोवा	0.00	0.00	9.92	3.00	0.00
52	मोरक्को	12.98	4.52	7.88	4.23	4.94
53	म्यांमार	9.22	15.09	33.54	30.98	57.31
54	नामिबिया	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
55	नेपाल	0.00	0.00	0.20	0.15	0.22
56	नीदरलैंड	3.37	5.41	4.39	12.76	28.43
57	न्यूजीलैंड	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
58	निकारागुआ	0.00	2.20	2.69	2.28	2.33
59	नाइजीरिया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	ओमान	0.02	2.20	0.03	0.00	0.02
61	पाकिस्तान आईआर	42.36	15.20	34.06	53.43	42.79
62	फिलिपींस	6.48	3.92	2.48	7.77	0.53
63	पोलैंड	36.08	35.94	62.38	67.78	58.90
64	पुर्तगाल	218.61	226.17	244.66	269.18	300.59
65	कतर	0.25	0.00	0.49	0.00	0.00
66	रोमानिया	0.44	0.20	0.01	3.41	15.71
67	रूस	11.10	36.42	31.71	19.76	18.28
68	समोआ	0.32	0.50	0.00	0.00	0.00
69	सऊदी अरब	0.24	8.44	8.00	3.58	2.99
70	सेनेगल	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
71	सर्बिया	0.20	0.00	0.00	0.00	0.55
72	सिंगापुर	12.79	22.18	20.86	17.77	17.24
73	स्लोवाक आरईपी	0.24	0.76	0.17	0.89	0.99
74	स्लोवेनिया	0.30	0.33	0.00	1.29	0.77
75	दक्षिण अफ्रीका	18.37	17.92	12.71	8.28	8.89
76	स्पेन	924.99	1167.88	838.90	755.44	672.20
77	श्रीलंका डीएसआर	72.14	75.48	95.11	91.70	103.57
78	स्वीडन	0.41	0.56	0.16	0.43	0.45
79	स्वाजीलैंड	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00
80	स्विट्ज़रलैंड	33.2	6.53	6.14	8.19	0.56
81	ताइवान	70.75	69.56	85.31	72.00	39.46
82	थाईलैंड	8.69	15.60	4.47	2.89	4.78
83	ट्यूनीशिया	0.06	0.00	0.00	0.19	1.13
84	तुर्की	342.37	322.69	133.85	131.37	115.37
85	संयुक्त अरब अमीरात	6.80	28.56	9.73	1.50	0.86
86	यूके	12.84	16.81	17.82	16.48	13.21
87	अमेरीका	49.48	53.49	60.13	47.08	39.09
88	युगांडा	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
89	यूक्रेन	6.40	0.00	0.90	0.00	0.00
90	अनिर्दिष्ट	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
91	उरुग्वे	2.17	1.10	0.00	0.00	0.00
92	वेटिकन सिटी	0.00	0.00	1.10	0.00	0.00
93	वेनेजुएला	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
94	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	596.29	776.53	791.21	730.33	751.39
95	वर्जिन आइलैण्ड अमेरिका	0.00	0.00	0.28	0.00	0.00
	कुल	10937.84	10361.11	9136.01	8156.31	7968.18

[स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएस)]

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय व्यापार

1031. श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच हुए व्यापार का विस्तृत ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि विभिन्न अनुमानों के अनुसार, दोनों देशों के बीच के द्विपक्षीय व्यापार में 20 बिलियन डॉलर के आंकड़े को पार करने की क्षमता है यदि दोनों देश सहयोग करें और बाधाओं और अड़चनों को दूर करें क्योंकि वर्तमान में, अधिकांश व्यापार दुबई, सिंगापुर, बंदर अब्बास बंदरगाह (ईरान) के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाकिस्तान के साथ व्यापार को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी आर चौधरी)

(क) : विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पाकिस्तान को भारत से निर्यातों और पाकिस्तान से आयातों का मूल्य, जैसाकि अक्टूबर, 2018 तक उपलब्ध है, निम्नलिखित है:-

अवधि	मूल्य मिलियन अम.डॉ. में	
	निर्यात	आयात
2015-16	2,171.14	441.03
2016-17	1,821.87	454.49
2017-18	1,924.28	488.56
2018-19 (अप्रैल-अक्टूबर) (अनंतिम)	1,179.91	338.66

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस डाटाबेस

(ख) एवं (ग): सितंबर, 2013 में जारी किये गये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरईआर) द्वारा “भारत-पाकिस्तान व्यापार सामान्यीकरण” शीर्षक से किए गए

अध्ययन में भारत एवं पाकिस्तान के बीच व्यापार संभावना 10.9 बिलियन अम.डॉ. और 19.8 बिलियन अम.डॉ. की सीमा में आकलित की गयी है। अक्टूबर, 2018 में विश्व बैंक द्वारा जारी की गयी "ए ग्लास हाफ फुल: दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय व्यापार का वादा" शीर्षक से किए गए एक अन्य अध्ययन में भारत एवं पाकिस्तान के बीच व्यापार संभावना 36.9 बिलियन अम.डॉ. का अनुमान लगाया गया है। दोनों अध्ययनों में यह सुझाव दिया गया है कि, अन्य बातों के साथ, परिवहन एवं पारगमन सुविधाओं की बाधाओं, गैर-टैरिफ मुद्दों, भारत से निर्यातों पर प्रतिबंध आदि सहित विभिन्न कारकों की वजह से अभिज्ञात व्यापार संभावना अभी मूर्त रूप में परिणत नहीं हो पाई है। ।

सरकार ने पाकिस्तान के साथ व्यापार में सुधार लाने के लिए अनेक प्रयास किये हैं।

इस्लामाबाद में सितंबर, 2012 को आयोजित पाकिस्तान के साथ वाणिज्य सचिव स्तर की बातचीत के 7वें दौर में, समयबद्ध तरीके से दोनों देशों द्वारा की जोनवाली अनेक कार्रवाईयों की पहचान करते हुए, व्यापार सुगमीकरण हेतु एक रोडमैप पर सहमति हुई थी। सहमति प्राप्त यह रोडमैप कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि पाकिस्तान ने वाघा-अटारी भूमार्ग से होकर व्यापार प्रतिबंधों को हटाने की सूचना नहीं दी (रोडमैप में अभिज्ञात किया गया पहला कदम)।

नई दिल्ली में आयोजित 5वीं सार्क बिजनेस लीडर्स कानक्लेव के साइडलाइन्स पर जनवरी, 2014 में भारत एवं पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रियों ने मुलाकात की। दोनों मंत्रियों ने सामान्य व्यापार संबंध शीघ्र स्थापित करने और इस संदर्भ में, पारस्परिक आधार पर गैर-भेदभावपूर्ण बाजार पहुंच (एनडीएमए) प्रदान करने के लिए उनकी सरकारों की प्रतिबद्धता की पुनःपुष्टि की। दोनों पक्षों ने व्यापार सामान्यीकरण, उदारीकरण और सुगमीकरण की प्रक्रिया तीव्र करने एवं उसमें गति लाने तथा सहमत उपायों का कार्यान्वयन करने का निर्णय लिया है।

27 मार्च, 2014 को भारत एवं पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हुई बैठक में, भारत ने उल्लेख किया कि दोनों देशों के वाणिज्य सचिवों के बीच किये गये सितंबर, 2012 के रोडमैप के आधार पर पूर्ण व्यापार सामान्यीकरण की दिशा में दोनों देश शीघ्र आगे बढ़ सकते हैं। तब से लेकर अब तक भारत एवं पाकिस्तान के बीच कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं हुई है।

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
प्राकृतिक रबड़

1027. एडवोकेट जोएस जॉर्ज:

श्री एंटो एन्टोनी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में हुई कमी की ओर ध्यान दिया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि रबड़ किसान अत्यधिक समस्या का सामना कर रहे हैं तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार के पास अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमतों के संबंध में कोई आंकड़े हैं तथा यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा प्राकृतिक रबड़ की कीमतों में वृद्धि करने के लिए तथा देश में इसके उपयोग को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या सरकार की प्राकृतिक रबड़ हेतु न्यूनतम उचित मूल्य या न्यूनतम आयात मूल्य शुरू करने की योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में रबड़ बोर्ड से प्राप्त सिफारिशों का यदि कोई हो, तो ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केरल में आयोजित किसी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकार से प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया गया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी आर चौधरी)

(क) और (ख): पिछले कुछ समय से घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्राकृतिक रबड़ (एनआर) की कीमतें कम रही हैं। प्राकृतिक रबड़ (एनआर) की कीमतें बाजार के मूल तत्वों और कारकों की श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख उपभोक्ता देशों में आर्थिक विकास की प्रवृत्तियाँ, तेल/कृत्रिम रबड़ की कीमतें, मौसम की परिस्थितियाँ और भावी बाजारों की गतिविधि शामिल हैं। घरेलू एनआर बाजार क्षेत्र विशिष्ट एवं मौसमी घटकों के कारण कुछ विचलनों के साथ सामान्यतः विश्व बाजार की प्रवृत्तियों के अनुसार निर्धारित होता है। एन आर की कीमतें एन आर के आयात से भी प्रभावित होती हैं इसलिए एनआर के आयात को विनियमित करने के लिए और स्थानीय रूप से उत्पादित रबड़ की मांग सृजित करने के लिए सरकार ने शुष्क रबड़ के आयात पर शुल्क “20 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम” जो भी

कम हो,” को दिनांक 30.4.2015 से बढ़ाकर “25 प्रतिशत या 30 रुपये प्रति किलोग्राम जो भी कम हो” कर दिया है । सरकार ने अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के तहत आयातित शुष्क रबड़ के उपयोग की अवधि को भी 18 महीने से घटाकर 6 महीने कर दिया है । विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ने प्राकृतिक रबड़ के आयात के लिए दिनांक 20 जनवरी 2016 से चेन्नई और नावाशेवा (जवाहर लाल नेहरू पत्तन) को प्रवेश के बंदरगाह के रूप में परिमित करके बंदरगाह नियंत्रण अधिरोपित किए हैं ।

(ग): घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले पांच वर्षों के लिए एनआर की प्रमुख व्यापारिक रूपों यथा शीट रबड़,ब्लॉक रबड़ और अपकेन्द्रित लेटेक्स की कीमतें अनुबंध पर दी गई हैं । देश में एनआर का उपयोग धीरे-धीरे बढ़ रहा है और 2017-18 में खपत 1.11 मिलियन टन थी। 2030-31 में एनआर की प्रक्षेपित खपत 1.41 मिलियन टन घरेलू उत्पादन की तुलना में 2.04 मिलियन टन है, मांग में कमी की कोई संभावना नहीं है। रबड़ के उपयोग को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में रबड़ उत्पाद विनिर्माण एवं संबंधित पहलुओं पर अनुसंधान, रबड़ बोर्ड के जरिए तकनीकी कंसल्टेंसी का प्रावधान प्रशिक्षण एवं परीक्षण सेवाएं; रबड़ पार्क इत्यादि की स्थापना शामिल हैं।

(घ): जी नहीं। वर्तमान में सरकार के पास प्राकृतिक रबड़ हेतु न्यूनतम उचित मूल्य या न्यूनतम आयात मूल्य शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(च): कोच्ची, केरल में 30 और 31 अक्टूबर को आयोजित भारतीय रबड़ सम्मेलन (आईआरएम) 2018 में हुए विचार विमर्श में प्रमुखतया एनआर का उत्पादन एवं उपयोग के साथ रबड़ उद्योग से संबंधित अन्य पहलुओं को शामिल किया गया।

अनुबंध

17.12.2018 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 1027 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुबंध ।

घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राकृतिक रबड़ की कीमत (रूपए /कि.ग्रा.)						
वर्ष	शीट रबड़		ब्लॉक रबड़		लेटेक्स (60% डीआरसी)	
	घरेलू* (आरएसएस 4 कोट्टायम)	अंतर्राष्ट्रीय ** (आरएसएस 3 बैंकाक, थाईलैंड)	घरेलू* (आईएसएनआर 20 कोट्टायम)	अंतर्राष्ट्रीय *** (एसएमआर 20 कुआलालम्पुर, मलेशिया)	घरेलू* (कोट्टायम)	अंतर्राष्ट्रीय *** कुआलालम्पुर, मलेशिया)
2013-14	166.02	155.25	156.43	137.14	123.31	101.06
2014-15	132.57	112.71	114.40	96.04	94.46	77.07
2015-16	113.06	96.36	100.42	84.81	88.28	67.08
2016-17	135.49	131.78	119.22	109.13	89.10	88.77
2017-18	129.80	116.78	115.17	96.55	87.90	82.28
2018-19 (नवंबर तक)	121.56	97.72	110.20	89.02	83.53	66.55

स्रोत:

* रबड़ बोर्ड

** थाइलैंड रबड़ प्राधिकरण (आरएओटी)

*** मलेशियाई रबड़ बोर्ड (एमआरबी)

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

निर्यातानुखी उद्योगों की कार्य-निष्पादनता

1019. श्री चन्द्रकांत खैरे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारत से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है ;
- (ख) क्या रुपए के अवमूल्यन के बाद निर्यातानुखी उद्योगों की कार्य-निष्पादनता और इन उद्योगों में मांग काफी तेजी से बढ़ी है ; और
- (ग) यदि हां, तो इस वर्ष के अंत तक निर्यात मूल्य के कहां तक पहुंचने की संभावना है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी आर चौधरी)**

(क) : पिछले तीन वर्षों में भारत से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों का ब्यौरा;

निर्यात को बढ़ावा देने हेतु वाणिज्य विभाग द्वारा कई उपाय किए गए हैं:-

- विदेश व्यापार नीति 2015-20 दिसंबर, 2017 में अधिसूचित की गई और मध्यावधि समीक्षा में एमएसएमई और श्रम गहन उद्योगों से निर्यात के संवर्धन पर ध्यान केन्द्रित किया गया है । एफटीपी को जीएसटी व्यवस्था के साथ संबंध किया गया।
- पूर्व एवं पश्च शिपमेंट रूपया निर्यात ऋण पर ब्याज समकरण स्कीम आरंभ की गई जिससे घटती दरों पर ऋण उपलब्धता में मदद मिली। पूर्व एवं पश्च शिपमेंट ऋण हेतु ब्याज समकरण स्कीम के तहत एमएसएमई क्षेत्र के लिए ब्याज समकरण दर 3 % से 5 % पर शुरू की गई।
- संभार तंत्र दक्षता में सुधार एवं विकास में बढ़ोतरी के लिए वाणिज्य विभाग में एक संभार-तंत्र प्रभाग का सृजन किया गया।

- एक नई स्कीम नामतः टीआईईएस आरंभ की गई जो सीमा पर बाजार (हाट), भू सीमा-शुल्क स्टेशन, गुणवत्ता परीक्षण, प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं एवं शीत श्रृंखलाओं इत्यादि के साथ अत्यधिक निर्यात लिंकेज अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की स्थापना एवं उन्नयन के लिए सुमेलित सहायता उपलब्ध कराती है।
- ईज ऑफ डुईंग बिजनेस और आईटी पहल के जरिए पारदर्शिता बढ़ाना
- डीजीएफटी और एसईजेड को कस्टम आईसीईजीएटीई के साथ ऑनलाइन जोड़ना।
- राज्य सरकारें वास्तविक आधार पर डीजीसीआई एंड एस निर्यात आंकड़े उपलब्ध कराए ।

(ख): आयात और निर्यात कई कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं जैसे विश्व व्यापार में वृद्धि, निर्यात के लिए मांग में बढ़ोतरी, आयात के लिए घरेलू आवश्यकता, सरकारी नीतियां, विदेशी मुद्रा भंडार, मुद्रास्फीति और व्यापारिक प्रतिभागियों के विकास का स्तर इत्यादि जिनमें से विनिमय दर निर्यात को प्रभावित करने वाला मात्र एक कारक ही है।

(ग): वाणिज्य विभाग की नवंबर, 2018 की नवीनतम प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अप्रैल-अक्टूबर 2018-19 में भारत का समग्र निर्यात (पण्यवस्तु एवं सेवाएं संयुक्त रूप से) 308.32 बिलियन अमरीकी डॉलर आंका गया है जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 17.17. % की सकारात्मक वृद्धि दर्शाता है।

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए
दालों का निर्यात

1139. श्री राजेशभाई चुड़ासमा:

श्री जी.एम. सिद्धेश्वरा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने सभी तरह की दालों के निर्यात से रोक हटा ली है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने दालों के निर्यात की अनुमति देने के साथ-साथ देश में सस्ते दामों पर दालों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) ये कदम किस हद तक कारगर साबित हुए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री सी.आर.चौधरी)

(क) एवं (ख): जी हां। सरकार ने दालों की विभिन्न किस्मों जिसमें जैविक दाल भी शामिल है के निर्यात पर प्रतिबंध को बिना किसी मात्रात्मक सीमा के दिनांक 22 नवम्बर, 2017 से हटा लिया है। दालों के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने के पीछे विभिन्न कारक हैं जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

- (i) दालों का घरेलू उत्पादन जो वर्ष 2009-10 तक करीब 14-15 मिलियन टन पर स्थिर था, वर्ष 2016-17 में 22.95 मिलियन टन तक पहुंच गया जो अभी तक का उच्चतम था और वर्ष 2017-18 में दालों का उत्पादन उस समान स्तर तक बने रहने की संभावना थी;
- (ii) जबकि सरकार ने किसानों को दालों का आकर्षक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और दालों की सार्वजनिक खरीद 20 लाख टन तक करके सहायता दी, दालों के बढ़े हुए उत्पादन के कारण एमएसपी से नीचे दालों की बाजार खरीद की रिपोर्ट थी;

(iii) विभिन्न स्टैकहोल्डरों द्वारा दालों के निर्यात की अनुमति देने की मांग थी जिससे किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके; और

(iv) दालों का पर्याप्त बफर स्टॉक था जिससे वहनीय मूल्यों पर घरेलू आवश्यकता का पूरा किया जा सके।

(ग) और (घ): सरकार ने देश में वहनीय मूल्यों पर दालों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:—

(i) सरकार ने दालों का 20 लाख टन तक बफर स्टॉक के निर्माण की अनुमति दी है।

(ii) करीब 20.50 लाख टन दालों की खरीद बफर स्टॉक के लिए की गई थी जिसमें 16.71 लाख टन की खरीद घरेलू रूप से की गई और 3.79 लाख टन का आयात वित्तीय वर्ष 2015–16 और 2016–17 के दौरान किया गया जिससे दालों के मूल्यों को कम करने में मदद मिली है।

(iii) बफर स्टॉक से दालों की रिलीज/बिक्री विभिन्न चैनलों जैसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, खुले बाजार प्रचालना, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की पोषण घटकों वाली कार्यान्वयन योजनाओं जैसे एमडीएम, आईसीडीएस इत्यादि का आपूर्ति, आर्मी, सीपीएमएफ इत्यादि का आपूर्ति के द्वारा की जाती है।

(iv) सरकार ने एक अधिकार-प्राप्त समिति का गठन सचिव, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अन्तर्गत किया है जिसमें वाणिज्य विभाग, कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव और डीजीएफटी शामिल हैं जो दालों पर निर्यात/आयात नीति की नियमित समीक्षा करेगी और घरेलू उत्पादन और मांग, घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मात्राओं पर आधारित उपाय करने पर विचार करेगी।

(ड.) वर्ष 2016–17 और 2017–18 के दौरान दालों के बफर स्टॉक के सृजन, इसकी बिक्री के प्रचालनों और दालों के बम्पर उत्पादन ने अन्य बातों के साथ-साथ दालों के मूल्यों को कम करने और घरेलू बाजार में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में मदद की है।

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार

1131. श्री असादुद्दीन ओवैसी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि हाल में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इंडिया इकोनॉमिक सर्वे जारी किया है जिसका उद्देश्य भारत को निकट भविष्य में सर्वाधिक रणनीतिक सहभागी बनाना है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या उक्त दस्तावेज 2035 तक भारत को ऑस्ट्रेलिया के तीसरे सबसे बड़े सहभागी बनाने और ऑस्ट्रेलिया से निर्यात 45 बिलियन डॉलर और भारत में निवेश के 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने की सिफारिश करता है; और
- (घ) यदि हां, तो भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की रणनीतिक सहभागिता के प्रत्युत्तर में भारत द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)**

(क) से (घ) : जी, हाँ। ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा शुरू की गई एक रिपोर्ट 'एन इंडिया इकोनॉमिक स्ट्रेटजी टू 2035' जुलाई 2018 में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट भारत में ऑस्ट्रेलियाई निर्यात को वर्ष 2017 के 14.9 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 2035 में लगभग 45 बिलियन डॉलर तक करने एवं ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत में किए जाने वाले निवेश को वर्ष 2017 के 10.3 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 2035 में 100 बिलियन डॉलर से अधिक करने का लक्ष्य निर्धारित करती है। रिपोर्ट में उल्लेख है कि ऑस्ट्रेलिया को भारत को अपने तीन शीर्ष निर्यात बाजारों में स्थान देने तथा निवेश के लिए एशिया में तीसरा सबसे बड़ा गंतव्य देश बनाने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इसमें भारत को ऑस्ट्रेलिया की कार्यनीतिक साझेदारियों के आंतरिक दायरे में लाने का भी उल्लेख किया गया है। भारत द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक एवं सांस्कृतिक रिश्तों के संवर्धन के लिए कई स्तरों पर ऑस्ट्रेलिया के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। दोनों देश एक व्यापक आर्थिक भागीदारी करार पर भी एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं।

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

समुद्री उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहन

1129. श्री आर. के. भारती मोहन:
श्री पी. आर. सेनथिलनाथन:
श्रीमती आर. वनरोजा:
श्रीमती वी. सत्यबामा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीईडीए) के विकास और समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निधि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत चार वर्षों में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश से निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की वस्तु-वार और देश-वार कुल मात्रा और मूल्य कितना है;

(घ) क्या सरकार का समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु को सहायता करने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)**

(क): जी हां ।

(ख) पिछले चार वर्षों में एपीडा एवं समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) को आवंटित निधि का विवरण अधोलिखित हैं :

एपीडा :-

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आवंटित राशि (रूपये करोड़ में)	142.06	104.94	180.00	100.00*

* वर्ष 2018-19 के लिए संशोधित अनुमान

एम्पीडा :-

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आवंटित राशि (करोड़ रुपये में)	135.00	102.50	105.00	120.00*

* वित्त मंत्रालय द्वारा वाणिज्य विभाग को किए गए आवंटन के अनुसार यह संशोधित अनुमान है, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना अभी शेष है ।

एपीडा एवं एम्पीडा को निधि आवंटन देश भर में कार्यान्वित योजनाओं के लिए हैं और कोई विशिष्ट राज्य/संघ शासित प्रदेश वार आवंटन नहीं किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान देश से निर्यात किए गए समुद्री उत्पादों की कुल मद-वार एवं देश-वार मात्रा एवं मूल्य **अनुलग्नक- I** में दिया गया है।

(घ) एवं (ङ) : सरकार समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) के जरिये तमिलनाडु सहित सभी राज्यों के संबंध में देश से समुद्री खाद्य निर्यातों के लाभ के लिए विभिन्न प्रकार की पहलें करती है एवं कदम उठाती है।

अनुबंध-1

[समुद्री उत्पादों की मद-वार एवं बाजार-वार निर्यात आंकड़े]

मद-वार निर्यात					
क्यू: मात्रा टन में, वी: मूल्य करोड़ रुपये में, \$: अमेरिकी मिलियन डॉलर, अमेरिकी डॉलर/किग्रा में इकाई मूल्य प्रापण					
मदें		2018-19 (सितंबर तक, 18)*	2017-18	2016-17	2015-16
प्रशीतित श्रृम्प	मात्रा:	240532	5,65,980	4,34,486	373866
	मूल्य:	11938.84	30,868.17	24,711.32	20045.5
	अम.डॉ.:	1783.09	4,848.19	3,726.38	3096.68
	ई.मू.अम.डॉ.	7.41	8.57	8.58	8.28
प्रशीतित मछली	मात्रा:	83714	3,53,192	2,96,762	228749
	मूल्य:	1222.44	4,674.03	4,460.90	3462.25
	अम.डॉ.:	177.13	733.17	672.47	529.85
	ई.मू.अम.डॉ.	2.12	2.08	2.27	2.32
एफआर कटल फिश	मात्रा:	14425	69,183	63,320	65596
	मूल्य:	445.98	2,356.46	1,944.50	1636.11
	अम.डॉ.:	65.80	369.88	292.73	250.31
	ई.मू.अम.डॉ.	4.56	5.35	4.62	3.82
एफआर स्क्विड	मात्रा:	30439	1,00,845	99,348	81769
	मूल्य:	680.01	2,451.87	2,575.29	1615.21
	अम.डॉ.:	100.52	385.01	388.64	247.53
	ई.मू.अम.डॉ.	3.30	3.82	3.91	3.03
सूखी वस्तुएं	मात्रा:	27942	88,997	61,071	43320
	मूल्य:	438.15	1,042.37	871.74	725.58
	अम.डॉ.:	65.79	163.53	199.77	111.57
	ई.मू.अम.डॉ.	2.35	1.84	3.27	2.58
अन्य	मात्रा:	53391	1,99,047	1,79,960	1,52,592
	मूल्य:	1002.75	3,714.00	3,307.15	2,936.18
	अम.डॉ.:	149.42	581.77	497.61	451.99
	ई.मू.अम.डॉ.	2.80	2.92	2.77	2.96
कुल	मात्रा:	455651	13,77,244	11,34,948	945892
	मूल्य:	15883.70	45,106.89	37,870.90	30420.8
	अम.डॉ.:	2364.97	7,081.55	5,777.61	4687.94
	ई.मू.अम.डॉ.	5.19	5.14	5.09	4.96

स्रोत : एम्पीडा

* आंकड़े वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनंतिम हैं ।

बाजार –वार निर्यात					
क्यू: मात्रा टन में, वी: मूल्य करोड़ रुपये में, \$: अमेरिकी मिलियन डॉलर					
बाजार		2018-19 (सितंबर तक, 18)*	2017- 18	2016- 17	2015-16
जापान	मात्रा:	28,018	85,651	69,039	75393
	मूल्य:	1,080	2,846.30	2,621.37	2610.74
	अम.डॉ.:	159	445.27	394.5	403.48
अमेरिका	मात्रा:	1,11,500	2,47,780	1,88,617	153695
	मूल्य:	6,111	14,769.83	11,482.16	8633.4
	अम.डॉ.:	912	2,320.05	1,731.81	1334.05
यूरोपीय संघ	मात्रा:	49,422	1,90,314	1,89,833	186349
	मूल्य:	1,785	7115.96	6892.19	6311.45
	अम.डॉ.:	266	1,116.74	1,038.59	970.77
चीन	मात्रा:	42,352	49,701	45,443	50042
	मूल्य:	1,084	1,448.03	1,341.94	1432.25
	अम.डॉ.:	160	227.39	202.19	220.69
दक्षिण पूर्व एशिया	मात्रा:	1,74,828	6,16,707	4,84,819	328900
	मूल्य:	4,400	14,250.26	11,461.83	7499.16
	अम.डॉ.:	654	2,237.07	1,728.19	1152.86
मध्य पूर्व	मात्रा:	14,473	62,220	52,973	53905
	मूल्य:	476	1,849.10	1,830.58	1793.67
	अम.डॉ.:	71	290.46	275.93	276.46
अन्य	मात्रा:	35,059	1,24,871	1,04,224	97609
	मूल्य:	948	2,827.40	2,240.83	2140.16
	अम.डॉ.:	142	444.57	406.4	329.62
कुल	मात्रा:	4,55,651	13,77,244	11,34,948	945892
	मूल्य:	15,884	45,106.89	37,870.90	30420.83
	अम.डॉ.:	2,364.97	7,081.55	5,777.61	4687.94

स्रोत: एम्पीडा

* आंकड़े वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अनंतिम हैं ।

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

भारत और अमरीका (यू.एस.) के बीच व्यापार विवाद

1127. श्री जैदेव गल्ला:
श्री रवीन्द्र कुमार जेना:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत और अमरीका (यू.एस.) के बीच प्रत्येक बकाया व्यापार विवादों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अमरीका भारत को निर्यात राज सहायताओं के बारे में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के विवाद समाधान तंत्र में लेकर गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और भारतीय कंपनियों और निर्यातकों को जी.एस.टी. को वापस करने के लिए राज-सहायताओं के किस सीमा तक प्रभावित होने की संभावना है;

(घ) क्या यह सच है कि डब्ल्यू.टी.ओ. के विवाद समाधान निकाय ने भारत द्वारा कतिपय निर्यात-राजसहायता के विरुद्ध जांच हेतु एक पैनल स्थापित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारत और अमरीका के बीच विवादों के समाधान नहीं होने के परिणामस्वरूप विवादास्पद मुद्दों का मुद्दे-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) निर्णय अमरीका के पक्ष में जाने के मामले में भारत पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)**

(क) : भारत और अमेरिका के बीच सात विवाद डब्ल्यू.टी.ओ. के तहत विवाद निपटान तंत्र के विभिन्न चरणों में हैं। ये अमेरिका से कुक्कुट पालन एवं कुक्कुट उत्पादों, भारत से स्टील उत्पादों के निर्यात के विरुद्ध प्रतिसंतुलनकारी शुल्क, नेशनल सोलर मिशन के तहत सोलर सेल्स एवं मॉड्यूल्स के आयात के विरुद्ध उपाय, अमेरिका का सब-फेडरल नवीकरणीय ऊर्जा प्रोग्राम, गैर-अप्रवासी वीजा से संबंधित अमेरिकी उपायों, भारत की निर्यात संवर्धन योजनाएं एवं स्टील तथा अल्यूमिनियम उत्पादों पर अमेरिका द्वारा टैरिफ में वृद्धि, से संबंधित हैं।

(ख) से (च) : जी हां। अमेरिका ने भारत की कुछ निर्यात संवर्धन योजनाओं को चुनौती दी है। भारत ने डब्ल्यू.टी.ओ. पैनल में इसका विरोध किया है। जीएसटी कानून के तहत निर्यातकों को उपलब्ध कराए गए जीएसटी रिफंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि जीएसटी मुद्दों का इस विवाद के साथ कोई संबंध नहीं है। भारत मानता है कि यह निर्यात के लिए कोई डब्ल्यू.टी.ओ. गैर - अनुरूप सब्सिडियां उपलब्ध नहीं कराता।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
भारत का विदेश व्यापार

1116. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:

श्री ए. अरुणमणिदेवन:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का 10 क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग भागीदारी (आरसीईपी) सदस्य राष्ट्रों के साथ व्यापार घाटा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या पिछले वित्तीय वर्ष में 51.11 बिलियन यूएस डॉलर की तुलना में चीन के साथ व्यापार अंतर बढ़कर 2017-18 में 63.12 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उद्योग, निर्यातकों और व्यापार विशेषज्ञों ने भारत द्वारा लागू किए जा रहे मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के संबंध में चिन्ता जताई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का मुक्त व्यापार समझौते पर वार्ता हेतु प्रारूप तैयार करने हेतु दो स्वतंत्र एजेन्सियां नियुक्त करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या स्वयं भारत का सार्क क्षेत्र में निर्यात इस इष्टतम स्तर पर नहीं है जबकि इस क्षेत्र में व्यापार को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) आरईसीपी के सदस्य राष्ट्रों के साथ व्यापार घाटे को कम करने और पड़ोसी देशों के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) से (ख) : वर्ष 2017-18 के दौरान 15 क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) साझेदार देशों (आरपीसी) के साथ व्यापार घाटा/अधिशेष का विवरण अनुबंध - 1 में दिया गया है। किसी देश के के साथ व्यापार घाटा / अधिशेष निर्यात हित, घरेलू मांग , परिवर्तित उपभोग प्रतिरूप और प्रतिस्पर्धा का स्तर सहित कई कारकों का प्रकार्य है । वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान चीन के साथ व्यापार घाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, जैविक रसायन, प्लास्टिक, उपकरण एवं यंत्रों इत्यादि के आयात में वृद्धि के कारण हुआ था ।

(ग) एवं (घ) सरकार व्यापार वार्ताओं में भारत की स्थिति निरूपण के लिए इनपुट लेने हेतु उद्योग, निर्यातकों एवं व्यापार विशेषज्ञों के साथ नियमित स्टोकहोल्डर्स परामर्श करती है । साझेदार देशों के साथ व्यापार वार्ता पर समय - समय पर स्वतंत्र प्रबुद्ध मंडल एवं शोध निकायों से भी परामर्श किया जाता है ।

(ङ.) भारत का सार्क क्षेत्र के देशों के साथ व्यापार अधिशेष है जैसा कि अनुबंध - II. में दर्शाया गया है । इस क्षेत्र में हमारे निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने भूमि सीमा शुल्क चौकियों के उन्नयन, एकीकृत

चेकपोस्ट/ सीमा हाटों की स्थापना एवं उप - क्षेत्रीय संयोजकता इत्यदि सहित व्यापार अवसंरचना द्विपक्षीय सुगमता के सुधार के लिए कई उपाय किए हैं । सरकार संवाद एवं सहयोग के माध्यम से व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए सार्क देशों के साथ पूरी सक्रियता के साथ संलग्न है ।

(च) इसके अलावा, सरकार विदेशों में व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों में सहभागिता करने के लिए भारत पण्यवस्तु निर्यात स्कीम (एमईआईएस), बाजार पहुंच पहल (एमएआई); बाजार विकास सहायता (एमडीए) 3% ब्याज समकरण सहायता ; निर्यात उत्पादन के लिए इनपुट और मशीनरी का शुल्क रहित आयात; निर्यात उत्पादों पर प्रदत्त शुल्कों का प्रतिदाय; सभी प्रमुख बंदरगाहों एवं हवाई अड्डे पर सीमाशुल्क निकासी सरलीकरण समिति की स्थापना के माध्यम से सीमाशुल्क निकासी को सरल बनाना; भारतीय उत्पादों के उत्पाद मानक, पैकेजिंग एवं ब्रैंडिंग का प्रचार इत्यदि जैसे विभिन्न पहलों के माध्यम से भारतीय निर्यातकों की सहायता कर रही है ।

2017-18 के दौरान आरसीईपी देशों के साथ भारत का व्यापार (मिलियन डॉलर में)

देश	निर्यात	आयात	कुल व्यापार	व्यापार शेष
ऑस्ट्रेलिया	3,824.7	13,989.0	17,813.7	-10,164.3
ब्रुनेई	63.2	434.8	498.0	-371.6
कंबोडिया	121.4	55.8	177.2	65.6
चीन	13,131.4	76,251.6	89,383.1	-63,120.2
इंडोनेशिया	3,962.0	16,435.9	20,397.8	-12,473.9
जापान	4,733.1	10,975.1	15,708.2	-6,242.1
लाओ	25.0	168.6	193.6	-143.6
मलेशिया	5,664.0	9,009.8	14,673.8	-3,345.8
म्यांमार	966.1	639.5	1,605.6	326.6
न्यूजीलैंड	352.8	643.7	996.5	-290.9
फिलीपींस	1,686.7	764.4	2,451.1	922.4
सिंगापुर	9,815.6	7,434.9	17,250.6	2,380.7
दक्षिण कोरिया	4,394.9	16,357.9	20,752.8	-11,963.0
थाईलैंड	3,636.4	7,127.2	10,763.6	-3,490.8
वियतनाम	7,810.4	4,947.5	12,757.8	2,862.9
आर सी ई पी	60,187.7	165,235.7	225,423.4	-105,048.0

सार्क देशों के साथ भारत का व्यापार (मिलियन डॉलर में)

देश	मानदण्ड	2015-2016	2016-2017	2017-2018
अफगानिस्तान	निर्यात	526.6	506.34	709.75
	आयात	307.9	292.9	433.78
बांग्लादेश	निर्यात	6,034.94	6,820.1 1	8,614.35
	आयात	727.15	701.68	685.65
भूटान	निर्यात	468.95	509.28	546.12
	आयात	281.27	307.82	377.99
नेपाल	निर्यात	3,902.70	5,453.59	6,612.96
	आयात	470.59	445.13	438.38
श्री लंका	निर्यात	5,310.75	3,913.15	4,476.46
	आयात	742.79	602.2	772.63
पाकिस्तान	निर्यात	2,171.17	1, 821.87	1, 9 24.28
	आयात	441.03	454.49	488.56
मालदीव	निर्यात	179.07	197.79	217
	आयात	4.29	9.17	5.68
सार्क क्षेत्र को कुल निर्यात		18,594.18	49 222.13	23,100.92
सार्क क्षेत्र से कुल आयात		2975.02	2813.39	3202.67

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यात में गिरावट

1112. श्री राजेश पाण्डेय:
श्री राम चरित्र निषाद:
श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय:
श्री निशिकान्त दुबे:
श्री शिवकुमार उदासि:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या देश का निर्यात अब तक के सबसे निचले स्तर पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और विगत तीन वर्षों और चालू वर्षों के दौरान विभिन्न देशों को किए गए निर्यात का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा निकट से निगरानी किए जा रहे 30 क्षेत्रों में से आधे से अधिक का निर्यात घाटे में है और यह घाटा मुख्यतः पिछले वर्ष के उच्च दर के प्रभाव के कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या यह भी सत्य है कि भारत का निर्यात वर्ष 2011-12 से लगभग 300 बिलियन डालर के आस-पास रहा है और इसमें पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है और निर्यात की मुख्य चुनौती वित्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने देश के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अर्थोपाय पर चर्चा करने के लिए राज्य सरकारों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक बुलाई या प्रस्तावित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या विभिन्न क्षेत्रों को कोई प्रोत्साहन, यदि कोई हो, देने का प्रस्ताव किया है और अगले तीन वर्षों हेतु निर्धारित निर्यात लक्ष्य क्या हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
- (ङ) क्या सरकार की देश के निर्यात को आर्थिक विकास का मुख्य स्रोत बनाने के लिए कोई नीति तैयार करने की योजना है और यदि हां, तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित उपाय क्या हैं और विगत तीन वर्षों के दौरान देश की जीडीपी में निर्यात के योगदान का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)

- (क) वर्ष 2014-15 (-1.29%) और वर्ष 2015-16 (-15.49%) में वैश्विक मंदी की स्थिति में देखी गई निर्यात में गिरावट से सतत सुधार के बाद वर्ष 2016-17 से भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान अवधि 2018-19 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान भारत के निर्यात में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के मुकाबले 11.58% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के लिए भारत के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्यात का मूल्य (अमेरिकी बिलियन डालर में)	प्रतिशत परिवर्तन
2015-16	262.29	-15.49
2016-17	275.85	5.17
2017-18	303.53	10.03
2017-18 (अप्रैल-नवंबर)	194.93	--
2018-19 (अप्रैल-नवंबर)*	217.52	11.58

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता (*: त्वरित अनुमान)

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यात का क्षेत्रवार मूल्य **अनुलग्नक-I** पर दिया गया है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान शीर्ष 40 गंतव्य स्थलों को किए गए निर्यात का मूल्य **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

(ख) **अनुलग्नक-III** की तालिका में दिए गए आंकड़ों से पता चलता है कि वर्तमान वर्ष 2018-19 (अप्रैल-नवम्बर) के अन्तिम 8 महीने के दौरान निर्यात के 30 क्षेत्रों में से 12 क्षेत्र पिछले वर्ष 2017-18 (अप्रैल-नवम्बर) की समान अवधि की तुलना में नकारात्मक वृद्धि दर्शाते हैं।

(ग) वर्ष 2011-12 से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	मूल्य अमेरिकी बिलियन डालर में	वृद्धि में प्रतिशत परिवर्तन
2011-12	305.96	
2012-13	300.40	-1.82
2013-14	314.42	4.67
2014-15	310.35	-1.29
2015-16	262.29	-15.49
2016-17	275.85	5.17
2017-18	303.53	10.03
2017-18 (अप्रैल-नवंबर)	194.93	--
2018-19 (अप्रैल-नवंबर)*	217.52	11.58

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता (*: त्वरित अनुमान)

उपर्युक्त तालिका के आंकड़ा से पता चलता है कि वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014-15 के दौरान भारत का निर्यात लगभग 300 बिलियन डालर प्रति वर्ष के आसपास था। आर्थिक मंदी जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग में कमी और वस्तुओं की कीमत कम रही, के कारण निर्यात की वृद्धि में गिरावट की वैश्विक प्रवृत्ति की वजह से निर्यात में गिरावट वर्ष 2015-16 तक जारी रही। तथापि, वर्ष 2014-15 (-1.29%) और 2015-16 (-15.49%) में वैश्विक मंदी के कारण हुई निर्यात में देखी गई गिरावट से सतत सुधार के बाद वर्ष 2016-17 से भारत के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। वर्तमान अवधि 2018-19 (अप्रैल-नवम्बर) के दौरान भारत के निर्यात में पिछले वर्ष की तदनुसारी अवधि के मुकाबले 11.58% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई।

(घ) निर्यात संवर्धन में राज्यों को शामिल करने के लिए अप्रैल 2016 और जून 2018 में व्यापार बोर्ड की दो बैठकें आयोजित की गईं तथा व्यापार एवं निवेश परिषद की दो बैठकें जनवरी 2016 और जनवरी 2017 में आयोजित की गईं। माननीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में नई दिल्ली में दिनांक 8 जनवरी, 2018 को व्यापार विकास एवं संवर्धन परिषद की तीसरी बैठक आयोजित की गई जिसमें 13 मंत्रियों सहित 28 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने व्यापार नीति, निर्यात संबंधी मुद्दों के बारे में और जागरूकता सृजित करने की आवश्यकता पर अपने-अपने विचार व्यक्त किए और भारत के व्यापार संबंधी बाधाओं जो भारत के निर्यात को प्रभावित करती हैं, को

संयुक्त रूप से दूर करने का निर्णय लिया। इस बैठक में सेवा निर्यात को बढ़ावा देने, जैव कृषि, ब्रेडिंग, प्रोत्साहन, पैकिंग की सुविधा सहित कृषि उत्पादों के मूल्य वर्धन तथा कृषि-वानिकी उत्पाद निर्यात के लिए फसल कटाई पश्चात् अवसंरचना विकसित करने, निर्यातकों को सुविधा प्रदान करने तथा सीमा पर निर्यात अवसंरचना का निर्माण करने जैसे प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया।

विदेश व्यापार नीति 2015-20 के अनुसार सरकार का उद्देश्य भारत से व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को 465.9 बिलियन अमेरिकी डालर से बढ़ाकर वर्ष 2019-20 तक लगभग 900 बिलियन अमेरिकी डालर करना तथा वैश्विक निर्यात (वस्तु और सेवा) में भारत की हिस्सेदारी को 2% से बढ़ाकर 3.5% करना है।

(ड.): भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल, 2015 को लांच की गई नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20, दिनांक 5 दिसंबर, 2017 को जारी इसकी मध्यावधि समीक्षा तथा समय-समय पर किए गए अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से अनेक कदम उठाए हैं। मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) विदेश व्यापार नीति 2015-20 'मेक इन इण्डिया', 'डिजिटल इण्डिया', 'स्किल इण्डिया', 'स्टार्ट अप इण्डिया' तथा 'व्यापार करने की सुगमता' की पहलों के अनुरूप देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के साथ-साथ रोजगार सृजित करने तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराती है।
- (ii) व्यापार सुगमीकरण और आईटी पहलों के द्वारा पारदर्शिता लाना:
 - (क) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को सीमाशुल्क के आइसगेट के साथ आनलाइन एकीकृत किया गया।
 - (ख) निर्यात और आयात के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों को घटाकर प्रत्येक के लिए तीन-तीन किया गया।
 - (ग) आयात निर्यात कोड (आईसीसी) को पैन के साथ एकीकृत किया गया और पूर्ण रूप से एकीकरण के लिए जीएसटीएन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
 - (घ) त्वरित कर रिफंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र (ईबीआरसी) प्रणाली की 14 राज्य सरकारों के साथ साझेदारी की गई।
 - (ङ) जीएसटीएन के साथ ई-बीआरसी का एकीकरण करने के लिए जीएसटी नेटवर्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।
- (iii) नीति का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में तेजी से विकसित हो रही संरचना के मद्देनजर भारत को बाह्य वातावरण की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम बनाना तथा व्यापार को देश की आर्थिक संवृद्धि और विकास में प्रमुख भागीदार बनाना है।
- (iv) नीति निर्यात को प्रोत्साहन देने तथा निर्यात उत्पादन हेतु निविष्टियों पर शुल्क की माफी/छूट संबंधी स्कीमों के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु तंत्र उपलब्ध कराती है।
- (v) नीति के तहत दो नई स्कीमों को प्रारंभ किया गया है नामतः बेहतर सामंजस्य के लिए पूर्व की पांच स्कीमों में विलय करके विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) तथा अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत से सेवाओं के निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)। एमईआईएस और एसईआईएस के तहत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप तथा इन स्क्रिपों के आधार पर आयातित माल पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय है। एमईआईएस स्कीम में अब सभी देशों के लिए 8 अंक स्तर पर 8057 प्रशुल्क लाइनों को शामिल किया गया है।

- (vi) नीति में विशिष्ट निर्यात दायित्व को 90 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत के सामान्य निर्यात दायित्व तक करते हुए ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माताओं से पूंजीगत माल की खरीद को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं।
- (vii) नीति में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से शामिल निविष्टि के शुल्क मुक्त आयात को अनुमत करने के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र जारी करने का प्रावधान है।
- (viii) पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात क्रेडिट संबंधी ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 01.04. 2015 से प्रारंभ किया गया है ताकि निर्यातकों को कम दरों पर क्रेडिट प्राप्त करने में सहायता मिल सके।
- (ix) 'निर्यात बंधु स्कीम' को और बेहतर और पुनर्निर्धारित किया गया है ताकि 'स्किल इण्डिया' तथा व्यापार संवर्धन/जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।
- (x) कागजरहित कार्य प्रणाली को अपनाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापार सरलीकरण तथा व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल 2016 से व्यापार सुगमीकरण हेतु एक एकल विन्डो इन्टरफेस (स्विफ्ट) मंजूरी परियोजना प्रारंभ किया है। स्कीम से आयातका/निर्यातकों को भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रानिक वाणिज्य/इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे अर्थात् आइसगेट पोर्टल पर सामान्य इलेक्ट्रानिक 'एकीकृत घोषणा' फाइल करने में सहायता प्राप्त होती है। व्यापार सुगमीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अप्रैल 2016 में डब्ल्यूटीओ के व्यापार सरलीकरण समझौते (टीएफए) का भी अनुसमर्थन किया था।
- (xi) देश में निर्यात अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए 1 अप्रैल 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम" (टीआईईएस) लांच की गई है।
- (xii) लाजिस्टिक कार्यकुशलता में सुधार लाने और प्रगति बढ़ाने पर जोर देने के लिए वाणिज्य विभाग में एक नए लाजिस्टिक प्रभाग का सृजन किया गया।
- (xiii) 5 दिसंबर 2017 को आरंभ विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा में निर्यात संवर्धन हेतु अधिक प्रोत्साहनों का प्रावधान है।
- पिछले कुछ वर्षों में सरकार द्वारा किए गए उपर्युक्त उपायों के कारण देश का निर्यात आर्थिक प्रगति का एक प्रमुख स्रोत रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश की जीडीपी में निर्यात के योगदान का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	भारत का समग्र निर्यात (करोड़ रु में)	वर्तमान मूल्य पर जीडीपी (करोड़ रु में)	जीडीपी में निर्यात का प्रतिशत अंश
2015-2016	27,28,641	13764037	19.82
2016-2017	29,46,243	15253714	19.31
2017-2018	31,94,507	16773145	19.05

सात: प्रेस रिलीज, सीएसओ, एमओएसपीआई, 31 मई, 2018

अनुलग्नक- I

दिनांक 17 दिसंबर 2018 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1112 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्षेत्रवार भारत का निर्यात

(मूल्य (अमेरिकी मिलियन डॉलर में))						
क्र. सं.	प्रमुख वस्तुएं	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18 (अप्रैल- नवम्बर)	2018-19 (अप्रैल- नवम्बर)*
1	इंजीनियरिंग सामान	61949.53	67216.12	78695.69	50210.87	53950.72
2	पेट्रोलियम उत्पाद	30582.64	31545.26	37465.08	23136.88	33931.10
3	रत्न और आभूषण	39284.27	43412.76	41544.44	28025.64	27035.75
4	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	13696.98	14476.86	18508.5	11341.49	14644.77
5	औषध और भेषज	16909.49	16785	17282.81	11082.66	12326.79
6	सभी वस्त्रों का आरएमजी	16964.36	17368.15	16706.94	11040.58	9976.14
7	सूती धागे / कपड़े / मेडअप्स, हथकरघा उत्पाद आदि	10119.36	9862.2	10260.36	6588.52	7503.06
8	प्लास्टिक और लिनोलियम	5764.18	5796.46	6851.13	4293.32	5744.00
9	इलेक्ट्रॉनिक सामान	5959.52	5962.93	6393.12	4091.72	5475.32
10	समुद्री उत्पाद	4767.51	5903.06	7389.22	5232.81	4793.70
11	चावल	5846.62	5733.79	7806.15	4960.21	4602.81
12	चमड़ा और चमड़ा विनिर्माण	5407.84	5165.6	5289.13	3512.32	3452.60
13	मानवनिर्मित धागे / कपड़े / मेडअप्स आदि	4621.66	4557.08	4826.33	3138.16	3291.99
14	मांस, दुग्ध और कुक्कुट उत्पाद	4575.47	4368.79	4610.06	3117.57	2941.47
15	अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रक्रिया सहित खनिज	3656.04	3578.16	3776.88	2336.01	2669.84
16	मसाले	2541.46	2851.95	3115.37	1999.59	2095.89
17	सिरेमिक उत्पाद और ग्लासवेयर	1712.05	1856.63	2131.78	1375.21	1672.45
18	फल और सब्जियां	2268.81	2454.72	2513.33	1477.06	1439.93

19	हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर हस्तशिल्प	1648	1926.75	1823.34	1195.03	1202.58
20	अनाज विनिर्मित और विविध संसाधित वस्तुएं	1319.75	1270.85	1416.64	910.94	1006.45
21	गलीचा	1440.07	1490.19	1429.82	953.15	985.38
22	खली	553.01	805.45	1093.16	692.05	801.84
23	लौह अयस्क	191.46	1533.53	1471.06	933.55	787.32
24	तिलहन	1246.89	1355.23	1174.34	749.81	754.71
25	तंबाकू	982.01	958.69	934.25	596.03	644.73
26	चाय	720.03	731.26	837.36	545.43	534.94
27	काँफी	783.87	842.84	968.57	642.75	531.99
28	काजू	768.55	786.93	922.41	657.58	435.29
29	अन्य अनाज	261.18	212.3	248.59	145.42	230.54
30	फ्लोर कवरिंग सहित जूट विनिर्माण	295.36	309.95	335.08	224.73	221.97
31	अन्य	15453.12	14732.96	15705.21	9727.81	11830.44
भारत का कुल निर्यात		262291.09	275852.43	303526.16	194934.90	217516.51

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता (*: त्वरित अनुमान)

दिनांक 17 दिसंबर 2018 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1112 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

गंतव्य-वार भारत का निर्यात

मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में						
क्र.सं.	देश	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18 (अप्रैल-नवम्बर)	2018-19 (अप्रैल-नवम्बर)*
1	संयुक्त राज्य अमेरीका	40336.01	42212.27	47878.48	31089.67	34601.10
2	संयुक्त अरब अमीरात	30316.50	31175.50	28146.12	19433.36	20187.01
3	चीन पी आरपी	9011.36	10171.89	13333.53	8112.80	11113.15
4	हांगकांग	12092.28	14047.24	14690.27	9928.94	8750.35
5	सिंगापुर	7719.81	9564.58	10202.82	6849.33	7180.17
6	यू के	8828.48	8530.07	9691.07	6032.06	6136.54
7	जर्मनी	7092.87	7181.61	8687.80	5471.43	5833.79
8	नीदरलैंड	4725.10	5069.69	6261.14	3514.74	5803.34
9	बांग्लादेश पीआर	6034.94	6820.11	8614.34	5192.34	5813.21
10	नेपाल	3902.70	5453.59	6612.96	3965.77	5157.71
11	वियतनाम समाजवादी गणराज्य	5265.99	6786.56	7813.08	5182.03	4509.30
12	बेल्जियम	5027.61	5656.89	6206.88	3913.75	4659.41
13	मलेशिया	3706.83	5224.86	5701.56	3600.41	4515.55
14	इटली	4217.73	4902.18	5709.85	3710.24	3617.53
15	तुर्की	4140.00	4626.59	5090.70	3325.01	3656.18
16	सऊदी अरब	6381.47	5110.28	5410.70	3302.83	3457.83

17	कोरिया गणराज्य	3523.43	4241.42	4460.98	2844.75	3374.19
18	फ्रांस	4633.40	5250.05	4900.27	3056.23	3258.62
19	इंडोनेशिया	2819.49	3488.12	3963.77	2492.36	3244.82
20	जापान	4662.85	3845.73	4734.22	3086.04	3054.30
21	थाईलैंड	2987.86	3133.44	3653.83	2311.58	2986.39
22	दक्षिण अफ्रीका	3588.07	3545.95	3825.21	2648.69	2930.45
23	श्रीलंका डीएसआर	5310.75	3913.15	4476.46	2768.97	2878.22
24	मेक्सिको	2865.13	3460.98	3782.79	2509.10	2611.72
25	स्पेन	3237.11	3424.99	3995.11	2513.02	2646.67
26	ऑस्ट्रेलिया	3262.98	2957.79	4012.32	2658.48	2492.27
27	इजराइल	2821.18	3087.16	3364.05	2110.62	2583.42
28	ब्राज़ील	2650.34	2400.46	3063.49	2009.91	2494.24
29	ईरान	2781.51	2379.61	2652.37	1844.38	1928.73
30	मिस्र ए आरपी	2337.68	2067.35	2392.34	1615.11	1921.22
31	कनाडा	2018.42	2004.12	2506.15	1542.62	1819.78
32	नाइजीरिया	2221.90	1764.11	2254.92	1363.12	1802.06
33	ताइवान	1425.92	2183.64	2156.67	1347.54	2143.23
34	केन्या	3025.85	2194.29	1974.57	1207.14	1476.33
35	ओमान	2190.96	2728.30	2439.46	1713.91	1535.34
36	रूस	1587.81	1937.06	2113.39	1352.21	1523.25
37	तंजानिया गणराज्य	1654.64	1783.57	1618.80	919.19	1272.82
38	पाकिस्तान आईआर	2171.17	1821.87	1924.28	996.74	1414.04
39	फिलीपींस	1353.34	1482.52	1692.83	1032.70	1116.65

40	कुवैत	1247.51	1497.99	1365.66	878.66	857.68
	उपर्युक्त 40 का कुल	225178.99	239127.60	263375.24	169447.80	188358.62
	उपर्युक्त शीर्ष 40 का % हिस्सा	85.85	86.69	86.77	86.93	86.60
	भारत का कुल	262291.09	275852.43	303526.16	194934.90	217516.51

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता (*: त्वरित अनुमान)

दिनांक 17 दिसंबर 2018 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं. 1112 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

क्षेत्र-वार भारत का निर्यात:

(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)				
क्र. सं.	प्रमुख वस्तुएं	2017-18 (अप्रैल-नवम्बर)	2018-19 (अप्रैल- नवम्बर)*	प्रतिशत परिवर्तन
1	अन्य अनाज	145.42	230.54	58.53
2	पेट्रोलियम उत्पाद	23136.88	33931.10	46.65
3	इलेक्ट्रॉनिक सामान	4091.72	5475.32	33.81
4	प्लास्टिक और लिनोलियम	4293.32	5744.00	33.79
5	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	11341.49	14644.77	29.13
6	चीनी मिट्टी के उत्पाद और कांच के बने पदार्थ	1375.21	1672.45	21.61
7	खली	692.05	801.84	15.86
8	अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, संसाधित खनिजों सहित खनिज	2336.01	2669.84	14.29
9	सूती धागे / कपड़े / मेडअप्स, हथकरघा उत्पाद आदि	6588.52	7503.06	13.88
10	औषध और भेषज	11082.66	12326.79	11.23
11	अनाज विनिर्मिति और विविध संसाधित वस्तुएं	910.94	1006.45	10.48
12	तंबाकू	596.03	644.73	8.17
13	इंजीनियरिंग सामान	50210.87	53950.72	7.45
14	मानव निर्मित धागे / कपड़े / मेडअप्स आदि	3138.16	3291.99	4.90

15	मसाले	1999.59	2095.89	4.82
16	गलीचा	953.15	985.38	3.38
17	तिलहन	749.81	754.71	0.65
18	हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर हस्तशिल्प	1195.03	1202.58	0.63
19	फ्लोर कवरिंग सहित जूट विनिर्माण	224.73	221.97	-1.23
20	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	3512.32	3452.60	-1.70
21	चाय	545.43	534.94	-1.92
22	फल एवं सब्जियां	1477.06	1439.93	-2.51
23	रत्न और आभूषण	28025.64	27035.75	-3.53
24	मांस, दुग्ध और कुक्कुट उत्पाद	3117.57	2941.47	-5.65
25	चावल	4960.21	4602.81	-7.21
26	समुद्री उत्पाद	5232.81	4793.70	-8.39
27	सभी वस्त्रों का आरएमजी	11040.58	9976.14	-9.64
28	लौह अयस्क	933.55	787.32	-15.66
29	कॉफी	642.75	531.99	-17.23
30	काजू	657.58	435.29	-33.80
31	अन्य	9727.81	11830.44	21.61
भारत का कुल निर्यात		194934.90	217516.51	11.58

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता (*: त्वरित अनुमान)

दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
एस.ई.जी. नीति समीक्षा समिति रिपोर्ट

1109. कुँवर भारतेन्द्र सिंह:
श्री बी. विनोद कुमार:
श्री प्रेम सिंह चंदूमाजरा:
श्री असादुद्दीन ओवैसी:
श्री एस.आर. विजय कुमार:
श्री अशोक शंकरराव चव्हाण:
श्री एस. राजेन्द्रन:
कुँवर हरिवंश सिंह :
श्री टी. राधाकृष्णन:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय विशेष आर्थिक जोन नीति के मूल्यांकन के लिए तय नीति को डब्ल्यू.टी.ओ. के अनुकूल बनाने हेतु उपायों का सुझाव देने के लिए बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी संरचना क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) क्या उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या समिति ने इस बात से आगाह किया है कि प्राथमिकता के मामले में परिवर्तन से एस.ई.जेड. का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या समिति ने समिति/विशेषज्ञों के विचारों/सिफारिशों की जांच कर ली है और उनके विचारों/सिफारिशों पर कोई कार्रवाई की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए एस.ई.जेड. का वह उद्देश्य पूरा हो जिसके लिए इनकी स्थापना की गई है, क्या कदम उठाए गए हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हो और इन सिफारिशों के क्रियान्वयन की समय-सीमा क्या है; और

(च) एस.ई.जेड. में खाली पड़ी भूमि के अधिकतम उपयोग के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) और (ख) : सरकार ने भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति का अध्ययन करने के लिए दिनांक 4.6.2018 को श्री बाबा कल्याणी, अध्यक्ष मैसर्स भारत फोर्ज की अध्यक्षता में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन किया है । समूह की संरचना एवं इसके विचारार्थ विषय का उल्लेख अनुबंध - 1 में किया गया है । इस समूह ने दिनांक

19.11.2018 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी । इस समूह की प्रमुख सिफारिशें **अनुबंध - II** पर दी गई हैं:-

(ग): ऐसी कोई चेतावनी रिपोर्ट में नहीं मिली थी।

(घ) एवं (ड.): समूह की सिफारिशों की अंतर - मंत्रालयी परामर्श द्वारा जांच की जा रही है।

(च): खाली पड़ी भूमि मुख्यतः निजी सेक्टर या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) विकासकों के पास है । विकासकों द्वारा विकास भूमि एवं इकाइयों को आवंटन कार्य मांग एवं बाजार स्थिति के आधार पर किया जाता है । सरकार, एसईजेड स्कीम की नीति एवं प्रचालनात्मक फ्रेमवर्क पर स्टैकहोल्डरों से प्राप्त इनपुट/सुझावों के आधार पर एसईजेड की नीति और प्रचालनात्मक फ्रेमवर्क की आवधिक पर समीक्षा करती है और एसईजेड नीति का तेजी से और प्रभावी कार्यान्वयन सुगम बनाने के लिए आवश्यक उपाय करती है । इस समूह के विचारार्थ विषयों में से एक विषय एसईजेड में खाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग करना भी था ।

सं. सी -3 / 1/2018-एसईजेड

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

एसईजेड प्रभाग

उद्योग भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 4 जून, 2018

आदेश

भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह का गठन करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी प्रदान की जाती है :

- क) श्री बाबा कल्याणी, अध्यक्ष, भारत फोर्ज - समूह के अध्यक्ष
- ख) श्री रविंद्र सन्नरेड्डी, प्र.नि., श्रीसिटी एसईजेड लिमिटेड - सदस्य
- ग) श्री नील रहेजा, समूह अध्यक्ष, के. रहेजा ग्रुप - सदस्य
- घ) सुश्री अनीता अर्जुनदास, एमडी., महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर - सदस्य
- ड.) श्री अजय पाण्डेय, एमडी एवं ग्रुप के सीईओ, जीआईएफटी सिटी एसईजेड लिमिटेड - सदस्य
- च) श्री श्रीकांत बडिगा, निदेशक, हैदराबाद फीनिक्स डेवलपर - सदस्य
- छ) श्री अरुण मिश्रा, प्रबंध निदेशक, टाटा स्टील एसईजेड लिमिटेड - सदस्य
- ज) गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के प्रधान सचिव (उद्योग) - सदस्य
- झ) अपर सचिव (एसईजेड प्रभाग के प्रभारी, वा.वि.) - सदस्य सचिव
- ञ) निदेशक (एसईजेड), वा.वि. - समन्वय अधिकारी ।

2. इस समूह के विचारार्थ विषय निम्नानुसार होंगे :

- क) वर्ष 2000 से लागू एसईजेड नीति का मूल्यांकन करना ।
- ख) वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में निर्यातकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले उपायों का सुझाव देना एवं एसईजेड नीति को डब्ल्यूटीओ संगत बनाना।
- ग) एसईजेड में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए एवं एसईजेड में खाली पड़ी भूमि के अधिकतम उपयोग के लिए एसईजेड नीति में सुधार के उपाय बताना ।
- घ) भारत में प्रचालित एसईजेड स्कीम एवं अन्यत्र प्रचालित एसईजेड स्कीम का विशेषकर सेवा क्षेत्र में प्रचालित एसईजेड का तुलनात्मक विश्लेषण करना एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के आधार पर एसईजेड नीति में बदलाव का सुझाव देना
- ड) एसईजेड नीति को कोस्टल आर्थिक क्षेत्रों, दिल्ली, मुम्बई आद्योगिक कॉरिडोर, राष्ट्रीय औद्योगिक विनिर्माण क्षेत्र, फूडपार्क, टेक्सटाइल पार्क आदि जैसी अन्य योजनाओं के अनुरूप बनाना ।

3. अपनी सहायता के लिए यह समूह सरकार से अधिकारियों का सह-चयन कर सकता है।

4. इस समूह के नॉन - ऑफिशियल अधिकारियों के टीए / डीए हकदारी को व्यय विभाग के दिनांक 14.09.2017 के का.ज्ञा. सं. 1947/1/2016-ई - के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाएगा।

5. समूह को इसके गठन की तिथि से 3 माह की अवधि में इसकी सिफारिशों को प्रस्तुत करना होगा ।

6. इस समूह की प्रक्षेत्र सर्वेक्षण ,डाटा संग्रहण, डेटा विश्लेषण, अन्तर्राष्ट्रीय प्रक्रियाओं के साथ तुलना और इस समूह द्वारा अपनाई जाने वाली किसी अन्य कार्यपद्धति के रूप में एक नॉलेज पार्टनर सहायता करेगा ।

7. इसे आईएफडी के दिनांक 01.6.2018 के आईडी नोट सं. 124/एफडी/018 के तहत उनकी सम्मति से जारी किया जाता है ।

हस्ता./

(जी श्रीनिवासन)

अवर सचिव - भारत सरकार

दूरभाष : 011-2306249

सेवा में,

- क) श्री बाबा कल्याणी, अध्यक्ष, भारत फोर्ज - समूह के अध्यक्ष
- ख) श्री रविंद्र सन्नरेड्डी, एम.डी., श्रीसिटी एसईजेड लिमिटेड - सदस्य
- ग) श्री नील रहेजा, समूह सभापति, के रहेजा ग्रुप - सदस्य
- घ) सुश्री अनीता अर्जुनदास, प्र.नि., महिंद्रा लाइफ स्पेस डेवलपर - सदस्य
- ड.) श्री अजय पाण्डेय, प्र.नि. एवं ग्रुप के प्र.का.अ., जीआईएफटी सिटी एसईजेड लिमिटेड - सदस्य
- च) श्री अरुण मिश्रा, प्रबंध निदेशक, टाटा स्टील एसईजेड लिमिटेड - सदस्य
- छ) श्री श्रीकांत बडिगा, निदेशक, हैदराबाद फीनिक्स डेवलपर - सदस्य
- ज) गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के प्रमुख सचिवों- को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने राज्य के प्रधान सचिव (उद्योग) का विवरण वाणिज्य विभाग को सूचित करें ।
- झ) वाणिज्य एवं उद्योग के मंत्री का कार्यालय
- ञ) श्रीमती रीता तेवतिया, वाणिज्य सचिव
- ट) श्री बिद्युत बिहारी स्वैन, अपर सचिव (एसईजेड), वा. वि.
- ढ) श्री टी.वी. रवि, निदेशक (एसईजेड), वा. वि.
- ड) आईएफडी, वाणिज्य विभाग
- ढ) ई एंड एमडीए अनुभाग / सा.प्र.अनुभाग

17 दिसम्बर 2018 को लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं 1109 का अनुबंध -II

1. निर्यात विकास से व्यापक रोजगार और आर्थिक विकास को फ्रेमवर्क शिफ्ट में परिवर्तित (रोजगार एवं आर्थिक एनक्लेव -3ई) ।
2. विनिर्माण एवं सेवाओं के एसईजेड के लिए अलग नियम एवं प्रक्रिया तैयार करना ।
3. 3 ई विकास के लिए क्षेत्र में कुछ उद्योगों में विद्यमान माल सूची के वर्तमान स्तर में निवेश आधारित कार्यकुशलता में सुधार करके आपूर्ति संचालित दृष्टिकोण को मांग संचालित में परिवर्तित करना।
4. राज्य की ईओडीबी पहल के साथ समन्वय करके 3 ई एस में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस (ईओडीबी) के लिए कार्य ढांचे को सक्षम बनाना । नए निवेश, प्रचालनात्मक आवश्यकताओं एवं निकासी संबंधी मुद्दों के लिए एक समेकित ऑनलाइन पोर्टल ।
5. हाई स्पीड मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, व्यापार सेवाओं एवं यूटिलिटी अवसंरचना का वित्तपोषण करके पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के जरिए प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाना । जोनों के भीतर अथवा उनसे जुड़ी उच्च गुणवत्ता अवसंरचना जैसे हाई स्पीड रेल, एक्सप्रेस सड़क मार्ग, पैसेंजर/कार्गो एयरपोर्ट, शिपिंग पोर्ट, वेयर हाउस इत्यादि के सृजन के लिए सहायता उपलब्ध कराने के लिए महत्वपूर्ण विषय ।
6. समेकित औद्योगिक और नगरीय विकास-वाक टू वर्क जोन के संवर्धन के लिए सभी पहलों को जोड़ने संबंध में राज्यों और केन्द्र को ढांचे के विकास में समन्वय करना।
7. प्रचालनात्मक एवं निकासी मुद्दों में सुधार के लिए विकासकर्ताओं एवं किराएदारों को प्रक्रियात्मक छूट देना।
8. सनसेट क्लाइज का विस्तार और कर अथवा शुल्क लाभों को बनाए रखना ।
9. सेवाओं की ब्रांड बैण्डिंग परिभाषा देना /विविध सेवाओं को एक साथ आने की अनुमति देना।
10. अतिरिक्त इनेबलर्स एवं प्रक्रियात्मक छूट ।
11. आईएफएससी के लिए एकीकृत विनियामक ।
12. देश के सभी अंतरगामी एवं बहिर्गामी निवेश के लिए मल्टी सर्विसेज एसईजेड आईएफएससी का उपयोग करना ।
13. घरेलू संस्थानों द्वारा आईएफएससी एसईजेड से सेवाएं लेने पर प्रोत्साहन ।
14. सेवा निर्यात प्रोत्साहन स्कीम के तहत लाभों का विस्तार।
15. क्षेत्र विशिष्ट एसईजेड/3ई में निवेश के लिए वैकल्पिक क्षेत्रों को अनुमति देना।
16. डेवलपर एवं किराएदारों के लिए दीर्घावधि पट्टे में लचीलापन ।
17. किसी भी स्तर पर बिना किसी प्रतिबंध अथवा सीमा के 3ई/एसईजेड के बाहर उपभोक्ताओं के लिए उपसंविदा की सुविधा ।
18. “मेक इन इंडिया” के समर्थन के लिए विशिष्ट घरेलू आपूर्तिकर्ताओं को एनएफएफ संगणना में शामिल करना ।
19. विकासकर्ताओं को आपूर्ति की गई और निर्यात की गई वस्तुओं के विनिर्माण में उपयोग की गई वस्तुओं पर निर्यात शुल्क की वसूली नहीं करना चाहिए।
20. विकासकर्ताओं द्वारा एनपीए के उपयोग और निवेशकों/इकाइयों को बिक्री स्पेस में लचीलापन।
21. वित्त तक पहुंच और दीर्घावधि ऋणों में सक्षम बनाने के लिए अवसंरचनात्मक स्थिति ।
22. 3ईएस में एमएसएमई भागीदारी को प्रोत्साहित करना और 3 ई में रखने के लिए विनिर्माण सेवा प्रदाता प्लेयरों को सक्षम बनाना।
23. मध्यस्थता एवं वाणिज्यिक न्यायालयों के जरिए विवाद समाधान ।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

एकीकृत संभार तंत्र योजना

1104. श्री विनायक भाऊराव राऊतः

श्री गौरव गोगोई:

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि भारत के संभार तंत्र की लागत इसके सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत है और दूसरी तरफ, विकसित देशों में यह केवल 7-8 प्रतिशत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का वस्तुओं का तेजी से परिवहन और व्यापार की लेनदेन लागत को कम करने के लिए एक एकीकृत संभार तंत्र योजना आरंभ करने का प्रस्ताव है और उक्त योजना में सभी क्षेत्रों रेल, सड़क, पोत परिवहन और विमान परिवहन को समायोजित किया जाएगा;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे आरम्भ करने के लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा वस्तुओं के धीमे परिवहन और उच्च लेन-देन लागत से संबंधित समस्याओं को कम करने के लिए अन्य क्या कदम प्रस्तावित किए गए हैं;
- (घ) क्या अमेरिका और चीन जैसे देशों के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के कारण वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अवरोध हो रहा था जिससे भारतीय संभार तंत्र कंपनियों के लिए बहुत अवसर निर्मित हो रहे थे; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इन अवसरों का लाभ उठाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) यह दर्शाने के लिए कोई भी आधिकारिक अध्ययन नहीं है कि भारत में संभारतंत्र की लागत इसकी जीडीपी के 14 प्रतिशत के लगभग है । तथापि, कुछ अध्ययनों में अनुमान लगाया गया है कि जर्मनी में 9 प्रतिशत एवं यूएसए में 10 प्रतिशत की तुलना में भारत में संभारतंत्र की लागत जीडीपी की 14 प्रतिशत है । विकसित देशों में कम संभारतंत्र की लागत के मुख्य कारण हैं :

- रेलवे, तटीय शिपिंग, अंतर्देशीय जलमार्ग आदि की अधिक हिस्सेदारी
- बदरगाह एवं उत्पादन - उपभोग केन्द्रों के मध्य कम दूरी
- बेहतर प्रौद्योगिकी का उपयोग आदि

(ख) एवं (ग) परिसंपत्ति एवं लागत के अनुकूलन के माध्यम से संभारतंत्र को बेहतर बनाना एक अविरत क्रियाकलाप है । सरकार सतत आधार पर समीक्षाएं करके संभार तंत्र के परितंत्र में सुधार करती है ।

(घ) एवं (ङ.) यूएसए एवं चीन के मध्य बढ़ते व्यापार तनाव से भारत सहित तृतीय देशों में कुछ व्यापार का विपथन हो सकता है ।

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास

1058. श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्री जॉर्ज बेकर:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) देश में इस नीति के अंतर्गत चिन्हित और स्थापित किए गए एसईजेड का गुजरात के विशेषकर सुदूरवर्ती क्षेत्रों सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस नीति के अंतर्गत एसईजेड के विकास हेतु स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इसमें केन्द्र और राज्यों के लिए निर्धारित हिस्सेदारी का प्रतिशत कितना है;

(घ) इस नीति के अंतर्गत अब तक निर्धारित और हासिल किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इसे डब्ल्यूटीओ के अनुकूल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)**

(क) : विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति अप्रैल 2000 में शुरू की गई। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 संसद द्वारा मई, 2005 में पारित किया गया जिस पर राष्ट्रपति की सम्मति 23 जून, 2005 को प्राप्त हुई। 10 फरवरी, 2006 से प्रभावी एसईजेड नियम, 2006 प्रभावी हुए। एसईजेड स्कीम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :-

(i) एसईजेड में प्राधिकृत प्रचालनों के प्रयोजनार्थ एक निर्दिष्ट शुल्क मुक्त एनक्लेव को भारतीय सीमा शुल्क क्षेत्र से बाहर के क्षेत्र के रूप में माना जाएगा ;

(ii) आयात के लिए किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है ;

(iii) विनिर्माण अथवा सेवा कार्यकलापों की अनुमति ;

- (iv) इकाई सकारात्मक निवल विदेशी विनिमय प्राप्त करेगी जिसकी संचयी गणना उत्पादन शुरू होने से पाँच वर्षों की अवधि के लिए की जाएगी ;
- (v) घरेलू बिक्री लागू पूर्ण सीमाशुल्क और आयात नीति के अध्यधीन है;
- (vi) उप-संविदा के लिए पूर्ण स्वतंत्रता ;
- (vii) निर्यात/ आयात कार्गो की कस्टम अधिकारियों द्वारा कोई नैमित्तिक जांच नहीं ;
- (viii) एसईजेड डेवलपर/ को-डेवलपर और इकाइयों को एसईजेड अधिनियम, 2005 में निर्धारित के अनुसार प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर का लाभ मिलेगा।

(ख) : एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमित होने से पहले स्थापित केन्द्रीय सरकार के 7 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और राज्य/निजी क्षेत्र के 11 एसईजेड के अतिरिक्त देश में एसईजेड की स्थापना करने के लिए 420 प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया। वर्तमान में, 355 अधिसूचित एसईजेड में से कुल 230 एसईजेड प्रचालनशील हैं। गुजरात सहित देश में राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार एसईजेड का ब्यौरा **अनुबंध - I** पर दिया गया है।

(ग) और (घ): एसईजेड अधिनियम, 2005 एवं एसईजेड नियमावली, 2006 के तहत स्थापित किये जा रहे एसईजेड, मुख्यतः निजी निवेश प्रेरित हैं। एसईजेड की स्थापना करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किसी तरह की निधि अनुमोदित नहीं की गयी है, तथापि एसईजेड अधिनियम, 2005 और उसके तहत बने नियमों के अनुसरण में डेवलपर/इकाई को वित्तीय रियायतें और शुल्क लाभ की अनुमति दी गयी है। दिनांक 30.09.2018 तक, एसईजेड से निर्यात 3,33,661 करोड़ रु था तथा रोजगार सृजन लगभग 19.96 लाख व्यक्ति था और 4,92,312 करोड़ रु. का निवेश किया गया।

(ड.) : सरकार ने भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति का अध्ययन करने के लिए दिनांक 04.06.2018 को श्री बाबा कल्याणी, अध्यक्ष मैसर्स भारत फोर्ज की अध्यक्षता में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के समूह का गठन किया है। समूह के लिए विचारार्थ विषय में से एक एसईजेड नीति को डब्ल्यूटीओ के अनुकूल बनाना था। समूह ने दिनांक 19.11.2018 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंतर-मंत्रालयी परामर्शों के जरिये समूह की सिफारिशों की जाँच की जा रही है।

17 दिसम्बर 2018 के लिए लोक सभा के अतारांकित प्रश्न सं 1058 का अनुबंध

गुजरात सहित देश में स्थापित एसईजेड का राज्य / संघ शासित क्षेत्र - वार वितरण					
राज्य/संघशासित प्रदेश	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित केंद्र सरकार एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से पहले स्थापित राज्य सरकार / निजी क्षेत्र एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत दी गई औपचारिक स्वीकृतियां	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड	कुल परिचालन एसईजेड (एसईजेड अधिनियम के तहत एसईजेड अधिनियम + से पहले)
आंध्र प्रदेश	1	0	32	27	19
चंडीगढ़	0	0	2	2	2
छत्तीसगढ़	0	0	2	1	1
दिल्ली	0	0	2	0	0
गोवा	0	0	7	3	0
गुजरात	1	2	28	24	20
हरियाणा	0	0	24	21	6
झारखंड	0	0	1	1	0
कर्नाटक	0	0	62	51	31
केरल	1	0	29	25	19
मध्य प्रदेश	0	1	10	5	5
महाराष्ट्र	1	0	56	50	30
मणिपुर	0	0	1	1	0
नगालैंड	0	0	2	2	0
ओडिशा	0	0	7	5	5
पुडुचेरी	0	0	1	0	0
पंजाब	0	0	5	3	3
राजस्थान	0	1	5	4	2
तमिलनाडु	1	4	50	47	39
तेलंगाना	0	0	63	57	29
उत्तर प्रदेश	1	1	24	21	12
पश्चिम बंगाल	1	2	7	5	7
कुल योग	7	11	420	355	230

**दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए
आयातित वस्तुओं के लिए व्यापारियों द्वारा अतिरिक्त भुगतान**

1003. डॉ. ए. सम्पत:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या आयातित वस्तुओं के लिए डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के लगातार अवमूल्यन के कारण व्यापारियों को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है जिससे उद्योग और व्यापार में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय रुपये के अवमूल्यन के कारण आयातित वस्तुओं के लिए भुगतान की गई अतिरिक्त राशि का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या भारतीय उपभोक्ताओं को वस्तुओं के लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ा था जिसमें मुद्रास्फीति हुई और यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी.आर.चौधरी)

- (क) और (ख): इस वित्त वर्ष के दौरान अमेरिकी डालर की तुलना में रुपया दबाव म रहा है। जब रुपए का मूल्यहास होता है तो भारत के आयातक को भारतीय रुपए में अधिक भुगतान करना पड़ता है। इस राजकोषीय वर्ष में अमेरिकी डालर के साथ भारतीय रुपए का माहवार विनिमय दर निम्नलिखित है:-

2018-19 के महीने	अमेरिकी डालर के मुकाबले भारतीय रुपए (आईएनआर) की विनिमय दर
अप्रैल 18	66.78
मई, 18	67.45
जून 18	68.58
जुलाई, 18	68.61
अगस्त, 18	70.93
सितम्बर, 18	72.55
अक्टूबर, 18	73.99
नवंबर, 18	69.66

स्रोत: आरबीआई और एफबीआईएल

वर्ष 2017 के दौरान अमेरिकी डालर की तुलना में 6.4% मूल्य वृद्धि के साथ रुपए ने सामान्यतः मजबूती के रुझान को दर्शाया। तथापि, वर्ष 2018 के दौरान इसने कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और अमेरिका में बढ़ती ब्याज दर तथा भौगोलिक-राजनीतिक मद्दों जिसके परिणामस्वरूप विदेशी पोर्टफोलियो का वहिर्गमन हुआ, के कारण मूल्यदास की प्रवृत्ति को दर्शाया है। नवम्बर 2018 के बाद से कच्चे तेल की कीमत कम होने, उच्च आर्थिक प्रगति तथा नवम्बर, 2018 के दौरान विदेशी पोर्टफोलियो के अन्तर्वाह के कारण रुपए में मजबूती का रुझान रहा है।

(ग) और (घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान अमेरिकी डालर की तुलना में भारतीय रुपए के विनिमय दर का रुझान नीचे दिया गया है:

वर्ष	अमेरिकी डालर को तुलना में भारतीय रुपए की विनिमय दर (वर्ष के अन्त में)
2015-16	66.33
2016-17	64.84
2017-18	65.04

स्रोत: भारतीय अर्थव्यवस्था संबंधी सांख्यिकी पुस्तिका, आरबीआई

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि अमेरिकी डालर की तुलना में रुपया लगातार पिछले तीन वर्षों में लगभग स्थिर रहा। इसलिए, भारत के आयातकों द्वारा समान अवधि के दौरान भारतीय रुपए में अधिक भुगतान किए जाने का प्रश्न नहीं उठता। यह नीचे की तालिका से स्पष्ट है।

भारत का कुल आयात निम्नलिखित तालिका में है:

वर्ष	अमेरिकी बिलियन डालर में कुल आयात	भारतीय करोड़ रुपए में कुल आयात
2015-16	381	24,90,305
2016-17	384	25,77,675
2017-18	466	30,01,033

जैसाकि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक आयात में अमेरिकी डालर में और भारतीय रुपए में क्रमशः 22% और 20.5% की वृद्धि हुई है।

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

विशेष आर्थिक जोनों से लाभान्वित होने वाले उद्योग

998. श्री के.आर.पी. प्रबाकरन:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने तमिलनाडु राज्य सहित विशेष आर्थिक जोनों (एसईजेड) से लाभान्वित होने वाले ग्रामीण और कृषि उद्योगों की संख्या का पता लगाया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और परिणाम क्या हैं;
- (ग) क्या ये उद्योग सरकार के लिए पर्याप्त मात्रा में राजस्व उत्पन्न करने में सक्षम रहे हैं;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उद्योगों से एसईजेड द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व का प्रतिशत कितना है;
- (ङ) यदि नहीं, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और
- (च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी आर चौधरी)**

(क) से (च): एसईजेड स्कीम का मुख्य उद्देश्य वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात का संवर्धन, निवेश का संवर्धन एवं रोजगार सृजन था। भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर के लिए 7 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) में से 6 अधिसूचित है और 3 एसईजेड प्रचालनात्मक हैं। तमिलनाडु राज्य सहित ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। पिछले पांच वर्षों तथा वर्तमान वर्ष 2017-18 (अर्थात् 30 सितंबर, 2018 तक) के दौरान इन एसईजेड से हुआ वास्तविक निर्यात निम्न प्रकार है :

वर्ष	निर्यात (मूल्य करोड़ रुपये में)	एसईजेड से कुल वास्तविक निर्यात का%
2012-13	806	0.17%
2013-14	881	0.18%
2014-15	1132	0.24%
2015-16	2365	0.51%
2016-17	4061	0.78%
2017-18	4117	0.71%
2017-18 (30.09.2018 तक)	2650	0.79%

17 दिसंबर, 2018 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं 998 का अनुलग्नक

भारत में कृषि और खाद्य प्रसंस्करण एसईजेड की सूची				
क्र.सं.	डैवलपर का नाम	एसईजेड का प्रकार	स्थान	एसईजेड की स्थिति
1	केरल औद्योगिक अवसंरचना विकास निगम (केआईएनएफआरए)	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	मालापुरम जिला, केरल	अधिसूचित / प्रचालनात्मक
2	पेरी अवसंरचना कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण	काकीनाडा, आंध्र प्रदेश	अधिसूचित / प्रचालनात्मक
3	पर्ल सिटी (सीसीसीएल अवसंरचना लिमिटेड)	खाद्य प्रसंस्करण	तुतीकोरिन जिला, तमिलनाडु	अधिसूचित / प्रचालनात्मक
4	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण	दिमापुर, नागालैंड	अधिसूचित
5	अंसल कलर्स इंजीनियरिंग एसईजेड लिमिटेड	कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद	सोनीपत, हरियाणा	अधिसूचित
6	सीसीएल उत्पाद (इंडिया) लिमिटेड	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	चित्तूर जिला, आंध्र प्रदेश	अधिसूचित
7	अक्षयपात्रा अवसंरचना प्रा.लिमिटेड	खाद्य प्रसंस्करण	मेहसाणा, गुजरात	औपचारिक अनुमोदन

दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
एसइजेड के लिए भूमि

979. श्री लक्ष्मी नारायण यादव:

श्रीमती रमा देवी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने विशेष आर्थिक जोन (एसइजेड) के विकास हेतु भूमि अधिग्रहण किया है;
- (ख) यदि हां, तो उक्त भूमि के अधिग्रहण की दर का एसइजेड-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) एसइजेड हेतु भूमि के अधिग्रहण के पश्चात् सरकार द्वारा किसानों को प्रदान किए गए क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त प्रदान की गई अतिरिक्त सुविधाओं का ब्यौरा क्या है; और
- (घ) किसानों तक उक्त सुविधाएं पहुंचे यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) भूमि राज्य का विषय है। एसइजेड के लिए भूमि संबंधित राज्य सरकारों की नीति एवं प्रक्रियाओं के अनुसार प्राप्त की जाती है। विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) अधिनियम, 2005 और एसइजेड नियम, 2006 के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भूमि अधिग्रहित नहीं की गई है।

(ख) से (घ) : उपरोक्त (क) के उत्तर के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
कॉफी उत्पादकों को सहायता

978. श्री प्रताप सिन्हा:

कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या कर्नाटक और केरल में कॉफी उत्पादकों ने बाढ़ के कारण नष्ट हुई अपनी फसलों से हुई भारी हानि के कारण ऋणों पर ब्याज माफ करने का अनुरोध किया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
- (ग) क्या कॉफी बोर्ड ने बाढ़ के कारण कॉफी बागानों, कॉफी की फसल और अवसंरचना को हुई हानि और क्षति का आकलन/अनुमान लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने बाढ़ प्रभावित कॉफी उत्पादकों की चिंताओं के समाधान के लिए एक संयुक्त कार्य बल गठित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या यह सच है कि कर्नाटक में 3.43 लाख कॉफी उत्पादक 6,000 करोड़ रुपए की राशि के लंबित ऋणों का सामना कर रहे हैं और यदि हां, तो कॉफी उत्पादकों के मुद्दों का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधरात्मक कदम उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) से (घ): कॉफी उत्पादक एसोसिएशन नामतः कर्नाटक ग्रोवर्स फेडरेशन (केजीएफ) और कोडागू प्लांटर्स एसोसिएशन (सीपीए) सहित विभिन्न पणधारकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ कॉफी उत्पादकों द्वारा कर्नाटक और केरल में भारी बाढ़ के कारण उनके बागानों को हुई क्षति और हानि के मद्देनजर लिए गए ऋण पर ब्याज छूट की मांग की गई है ।

कॉफी उत्पादकों / हितधारकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर ध्यान देने समाधान करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार इस मामले को कर्नाटक सरकार के साथ उठाया है और प्राकृतिक आपदा के कारण हुई क्षति का आकलन करने के लिए प्रमुख सचिव, कर्नाटक की अध्यक्षता में एक कार्य बल गठित करने और इन मुद्दों का समाधान करने के लिए उपयुक्त उपाय का सुझाव देने का सुझाव दिया है ।

कॉफी बोर्ड ने कर्नाटक सरकार के राजस्व, कृषि और बागवानी विभाग के साथ कोडागू, हसन और चिकमगलूरु जिलों में भारी वर्षा के कारण हुई क्षति का व्यापक वैज्ञानिक आकलन किया और संबंधित उपायुक्त, कर्नाटक सरकार को आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत की । केरल के संदर्भ में, कॉफी बोर्ड द्वारा व्यापक वैज्ञानिक आकलन किया गया और केरल सरकार को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

ब्यौरे निम्नलिखित हैं: -

राज्य	फसल हानि से प्रभावित क्षेत्र> 33% (हेक्टेयर)	फसल हानि के लिए उपयुक्त योग्य दावों की राशि 33% (रुपये करोड़)	भूस्खलन और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त कॉफी क्षेत्र (हेक्टेयर)	भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई कुल कॉफी फसल (एमटी) *
कर्नाटक	99,984	128.04	550	60,103
केरल	10308	18.55	73.6	9256
संपूर्ण	110,292	146.59	623.60	69,359

(ड.) दिनांक 13.6.2018 को राज्य स्तरीय बैंकर समिति, कर्नाटक द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार 210346 कॉफी उत्पादकों पर 5944.51 करोड़ रुपये की राशि का ऋण बकाया है। कॉफी बोर्ड के अनुसरण पर कर्नाटक सरकार ने अन्य कृषि ऋण के सममूल्य पर कॉफी उत्पादक कृषकों को ऋण माफी की राहत दी गई है।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
एसइजेड के लिए एकल खिड़की प्रणाली

970. श्री राहुल कस्वां:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बहुत से राज्यों ने अभी भी विशेष आर्थिक जोन (एसइजेड), अधिनियम लागू नहीं किया और ना ही कोई ऐसी नीति बनाई है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार ने एसइजेड के लिए राज्यों द्वारा एक एकल खिड़की प्रणाली को शुरू करने पर जोर नहीं दिया है;
- (घ) यदि हां, तो राजस्थान राज्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) से (ङ): जी हाँ । विभिन्न राज्यों ने विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसइजेड) अधिनियम अधिनियमित नहीं किए हैं और न ही एसइजेड नीति बनाई है। जिन राज्यों ने अपने एसइजेड अधिनियम अधिनियमित किए हैं वे हैं (i) मध्य प्रदेश, 2003, (ii) पश्चिम बंगाल, 2003, (iii) गुजरात, 2004, (iv) तमिलनाडु, 2005, (v) हरियाणा, 2006 , (vi) पंजाब, 2009 और राजस्थान, 2015 । इसके अलावा, निम्नलिखित राज्यों ने अपनी एसइजेड नीतियां तैयार कर ली हैं (i) महाराष्ट्र, 2001, (ii) झारखंड, 2003, (iii) उत्तर प्रदेश, 2007, (iv) केरल, 2008 और (v) कर्नाटक, 2009 ।

एसइजेड नियम, 2006 के नियम 5, उप-नियम 5 (ज) के अनुसार, राज्य सरकार प्रस्तावित एसइजेड डेवलपर्स और इकाइयों को राज्य अधिनियमों और नियमों के तहत एकल बिंदु मंजूरी प्रणाली प्रदान करने का प्रयास करेगी। केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकारों को समय-समय पर प्रभावी एकल खिड़की व्यवस्था के कार्यान्वयन के लिए परामर्श देती रही है जिससे एसइजेड डेवलपर्स और इकाइयों को राज्य सरकार की मंजूरी समय पर जारी करना सुनिश्चित किया जा सके। दिनांक 22.12.2017 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ निर्यात कार्यनीति पर हुई बैठक के दौरान , इस बात पर बल दिया गया कि राज्य सरकारें एसइजेड डेवलपर्स और इकाइयों को आवश्यक मंजूरी समय पर जारी करना सुनिश्चित करें ।

**दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए
विशेष आर्थिक क्षेत्र**

957. डॉ. किरिट पी. सोलंकी:

श्री धर्मवीर:

श्री दिव्येन्दु अधिकारी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में स्वीकृत और स्थापित विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) का राज्य और संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उनमें से इस समय कितने प्रचालित और गैर-प्रचालित हैं;

(ख) क्या यह सच है कि बड़ी संख्या में एसईजेड जिन्हें स्वीकृती दी गई थी, वे प्रचालित नहीं हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन एसईजेड को प्रचालित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए एसईजेड के विकासकर्ताओं को और समय दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्दिष्ट समय-सीमा में परियोजना को पूरा न करने के लिए ऐसे विकासकर्ताओं पर लगाई गयी शास्ति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की एसईजेड को और अधिक निवेशोन्मुख बनाने में तेजी लाने संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ताकि उन्हें रोजगार आर्थिक एन्क्लेव बनाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या एसईजेड ने विनिर्माण क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने में सहायता की है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और रोजगार सृजन पर एसईजेड का क्या प्रभाव पड़ा है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री सी. आर. चौधरी)

(क) एसईजेड अधिनियम, 2005 अधिनियमित होने से पहले स्थापित केन्द्रीय सरकार के सात विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और राज्य /निजी क्षेत्र के 11 एसईजेडों के अतिरिक्त देश में एसईजेड की स्थापना करने के लिए 420 प्रस्तावों को अनुमोदन दिया गया। वर्तमान में, 355 अधिसूचित एसईजेडों में से कुल 230 एसईजेड प्रचालन में हैं 143 एसईजेड प्रचालन में नहीं हैं। देश में राज्य /संघ/राज्य क्षेत्र वार अनुमोदित, स्थापित, प्रचालन में और गैर प्रचालन में एसईजेडों का ब्यौरा अनुबंध -। पर दिया गया है।

(ख) एसईजेड की स्थापना करना एक दीर्घ कालिक प्रक्रिया है और एसईजेड के वाणिज्यिक प्रचालनों के आरंभ होने में विभिन्न कारणों से विलंब हो सकता है जिनमें सांविधिक/ राज्य सरकार के निकायों से अनुमोदन प्राप्त करने में लगा समय, परिवर्तित वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण प्रतिकूल व्यापारिक माहौल, वित्तीय प्रोत्साहनों में परिवर्तन आदि शामिल हैं। इन एसईजेड को क्रियाशील बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारात्मक उपाय निम्नलिखित हैं :

i सरकार एसईजेड की नीति और प्रचालन तंत्र की आवधिक समीक्षा करती है तथा आवश्यक उपाय करती है जिससे एसईजेड के शीघ्र एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुकर बनाया जा सके।

ii नए एसईजेड की स्थापना करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि क्षेत्र को बहु - उत्पाद और क्षेत्र - विशिष्ट एसईजेड के लिए 50 प्रतिशत कम कर दिया गया है ।

iii एक ही क्षेत्र के तहत समान/ संबंधित क्षेत्रों को शामिल करने के लिए क्षेत्रीय ब्राड- बैंडिंग आरंभ किया गया है ।

iv एसईजेड के प्रचालनों को अधिक व्यवहार्य बनाने के लिए एसईजेड और गैर एसईजेड निकायों द्वारा सुविधाओं सामाजिक और वाणिज्यिक अवसरचना जैसी सुविधाओं के दोहरे उपयोग की अनुमति दी गई है ।

v राज्य सरकारों को अपनी एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने का परामर्श दिया गया है ।

vi एसईजेड के विकास आयुक्तों के साथ नियमित रूप से समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं ।

(ग): विशेष आर्थिक क्षेत्र नियम, **2006** के नियम 6(2) (क) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) डेवलपर को प्रदान किया गया अनुमोदन पत्र तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है, तथा डेवलपर द्वारा इस समयवधि में अनुमोदित परियोजना के क्रियान्वयन के लिए प्रभावी उपाय किए जाने होते हैं । अनुमोदन बोर्ड, डेवलपर द्वारा आवेदन करने पर अनुमोदन पत्र की वैधता अवधि को बढ़ाते हुए अधिक समय प्रदान कर सकता है । विगत छह वर्षों और वर्तमान वित्त वर्ष (11 दिसम्बर, **2018** तक) के दौरान देश में एसईजेड के 146 डेवलपर्स को परियोजना पूरी करने के लिए समय सीमा बढ़ाने को अनुमति दी गई है ।

(घ) सरकार ने भारत की विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) नीति का अध्ययन करने के लिए दिनांक 04.06.2018 को श्री बाबा कल्याणी, अध्यक्ष मैसर्स भारत फोर्ज की अध्यक्षता में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के एक समूह कर गठन किया । दिनांक 19.11.2018 को इस समूह ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी ।

(ड.) एसईजेड अधिनियम, **2005** के प्रावधान विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों पर लागू होते हैं । विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एसईजेड से विनिर्माण क्षेत्र में निर्यात का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	विनिर्माण क्षेत्र में एसईजेड का निर्यात (करोड़ रु.)
2015-2016	2 , 14 , 501
2016-2017	2 , 37 , 502
2017-2018	2 , 67 , 801
2018-2019 (30.09.2018 तक)	1,60,699

विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एसईजेड में रोजगार सृजन का ब्यौरा निम्नलिखित हैं :-

वर्ष	एसईजेड में रोजगार * (व्यक्ति)
2015-2016	15 , 91 , 381
2016-2017	17 , 31 , 641
2017-2018	19 , 77 , 216
2018-2019 (30.09.2018 तक)	19,96,610

* संचयी आधार पर परिकलित

17 दिसंबर, 2018 के लिए लोक सभा के आतांराकित प्रश्न सं. 957 का अनुबंध

देश में अनुमोदित, स्थापित , प्रचालन में और गैर प्रचालन में एसईजेड का राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार विवरण						
राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	एसईजेड अधिनियम, 2005 अधिनियमित होने से पहले स्थापित केन्द्रीय सरकार के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 अधिनियमित होने से पहले स्थापित राज्य सरकार/निजी क्षेत्र के एसईजेड	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत प्रदान किये गये औपचारिक अनुमोदन	एसईजेड अधिनियम, 2005 के तहत अधिसूचित एसईजेड	कुल प्रचालन में एसईजेड (एसईजेड अधिनियम से पहले + एसईजेड अधिनियम के तहत सहित)	गैर प्रचालन में एसईजेड -
आंध्र प्रदेश	1	0	32	27	19	9
चंडीगढ़	0	0	2	2	2	0
छत्तीसगढ़	0	0	2	1	1	0
दिल्ली	0	0	2	0	0	0
गोवा	0	0	7	3	0	3
गुजरात	1	2	28	24	20	7
हरियाणा	0	0	24	21	6	15
झारखंड	0	0	1	1	0	1
कर्नाटक	0	0	62	51	31	20
केरल	1	0	29	25	19	7
मध्य प्रदेश	0	1	10	5	5	1
महाराष्ट्र	1	0	56	50	30	21
मणिपुर	0	0	1	1	0	1
नागालैंड	0	0	2	2	0	2
ओडिशा	0	0	7	5	5	0
पुडुचेरी	0	0	1	0	0	0
पंजाब	0	0	5	3	3	0
राजस्थान	0	1	5	4	2	3
तमिलनाडु	1	4	50	47	39	13
तेलंगाना	0	0	63	57	29	28
उत्तर प्रदेश	1	1	24	21	12	11
पश्चिम बंगाल	1	2	7	5	7	1
कुल योग	7	11	420	355	230	143

दिनांक 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए
निर्यातकों द्वारा धोखाधड़ी

***95. डॉ. उदित राज:**

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सरकार के संज्ञान में आया है कि बहुत से विदेशी आयातक भारतीय निर्यातकों द्वारा ठगी और धोखे का शिकार हुए हैं और ऐसे निर्यात का मूल्य लाखों डॉलर में है जबकि भारत का अगले कुछ वर्षों में निर्यात को 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का अनुमान है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा विदेशी खरीददारों के मुद्दों/शिकायतों को सुलझाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/सुविधाएं प्रदान की गई हैं; और
- (ग) ऐसे धोखेबाज निर्यातकों की उपस्थिति में किस तरह से निर्यात लक्ष्यों को प्राप्त किए जाने की संभावना है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री
(श्री सुरेश प्रभु)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

“निर्यातकों द्वारा धोखाधड़ी” के संबंध में दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं० 95 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) और (ख): भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध विदेशी आयातकों से और विदेशी निर्यातकों के विरुद्ध भारतीय आयातकों से ठगी और धोखाधड़ी की शिकायतें प्राप्त होती हैं। व्यापार संबंधी विवादों या धोखाधड़ी के मामलों के संबंध में दोषी भारतीय निर्यातकों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए विदेशी क्रेताओं को सक्षम बनाने के लिए विदेश व्यापार नीति (2015-20) में एक तंत्र विद्यमान है। विदेश व्यापार निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ऐसे मामलों को निपटाया जाता है जिसमें “गुणवत्ता शिकायत और व्यापार विवाद संबंधी समिति” ऐसी शिकायतों की जांच करती है और विवादों का समाधान करने के लिए समुचित कार्रवाई करती है। जब कभी आवश्यकता होती है विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत चूककर्ताओं के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग): भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 1 अप्रैल, 2015 को लांच की गई नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2015-20, दिनांक 5 दिसंबर, 2017 को जारी इसकी मध्यावधि समीक्षा तथा समय-समय पर किए गए अन्य नीतिगत उपायों के माध्यम से अनेक कदम उठाए हैं। मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) विदेश व्यापार नीति 2015-20 ‘मेक इन इण्डिया’, ‘डिजीटल इण्डिया’, ‘स्किल इण्डिया’, ‘स्टार्ट अप इण्डिया’ तथा ‘व्यापार करने की सुगमता’ की पहलों के अनुरूप देश में वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में वृद्धि करने के साथ-साथ रोजगार सृजित करने तथा मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए एक तंत्र उपलब्ध कराती है।

(ii) व्यापार सुगमीकरण और आईटी पहलों के द्वारा पारदर्शिता लाना:

(क) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) और विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) को सीमाशुल्क के आइसगेट के साथ आनलाइन एकीकृत किया गया है।

(ख) निर्यात और आयात के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों को घटाकर प्रत्येक के लिए तीन-तीन किया गया है।

(ग) आयात निर्यात कोड (आईईसी) को पैन के साथ एकीकृत किया गया है और पूर्ण रूप से एकीकरण के लिए जीएसटीएन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है।

(घ) त्वरित कर रिफंड के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैंक वसूली प्रमाणपत्र (ईबीआरसी) प्रणाली की 14 राज्य सरकारों के साथ साझेदारी की गई।

(ङ) जीएसटीएन के साथ ई-बीआरसी का एकीकरण करने के लिए जीएसटी नेटवर्क के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

(iii) नीति सुगमीकरण तथा निर्यात उत्पादन हेतु निविष्टियों पर शुल्क की माफी/छूट के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देने हेतु तंत्र उपलब्ध कराती है।

(iv) नीति के तहत दो नई स्कीमों को प्रारंभ किया गया है नामतः बेहतर सामंजस्य के लिए पूर्व की पांच स्कीमों में विलय करके विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने हेतु भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात की स्कीम (एमईआईएस) तथा अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाने के लिए भारत से सेवाओं के निर्यात की स्कीम (एसईआईएस)। एमईआईएस और एसईआईएस के तहत जारी ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप तथा इन स्क्रिपों के आधार पर आयातित माल पूर्ण रूप से हस्तांतरणीय है।

- (v) नीति में विशिष्ट निर्यात दायित्व को 90 प्रतिशत से घटाकर 75 प्रतिशत के सामान्य निर्यात दायित्व तक करते हुए ईपीसीजी स्कीम के अंतर्गत स्वदेशी विनिर्माताओं से पूंजीगत माल की खरीद को बढ़ावा देने के उपाय शामिल हैं।
- (vi) नीति में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अंदर निर्यात उत्पाद में वास्तविक रूप से शामिल निविष्टि के शुल्क मुक्त आयात को अनुमत करने के लिए अग्रिम प्राधिकार-पत्र जारी करने का प्रावधान है।
- (vii) पूर्व एवं पश्च पोतलदान रुपये निर्यात क्रेडिट संबंधी ब्याज समकरण स्कीम को दिनांक 01.04.2015 से प्रारंभ किया गया है ताकि निर्यातकों को कम दरों पर क्रेडिट प्राप्त करने में सहायता मिल सके।
- (viii) 'निर्यात बंधु स्कीम' को और बेहतर और पुनर्निर्धारित किया गया है ताकि 'स्किल इण्डिया' तथा व्यापार संवर्धन/जागरुकता बढ़ाने के उद्देश्यों को हासिल किया जा सके।
- (ix) कागजरहित कार्य प्रणाली को अपनाने पर विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए व्यापार सरलीकरण तथा व्यापार करने की सुगमता को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं। सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल 2016 से व्यापार सुगमीकरण हेतु एक एकल विन्डो इन्टरफेस (स्विफ्ट) मंजूरी परियोजना प्रारंभ किया है। स्कीम से आयातकों/निर्यातकों को भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रानिक वाणिज्य/इलेक्ट्रानिक डाटा इन्टरचेंज (ईसी/ईडीआई) गेटवे अर्थात् आइसगेट पोर्टल पर सामान्य इलेक्ट्रानिक 'एकीकृत घोषणा' फाइल करने में सहायता प्राप्त होती है। व्यापार सुगमीकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत ने अप्रैल 2016 में डब्ल्यूटीओ के व्यापार सरलीकरण समझौते (टीएफए) का भी अनुसमर्थन किया था।
- (x) देश में निर्यात अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करने के लिए 1 अप्रैल 2017 से एक नई स्कीम नामतः "निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना स्कीम" (टीआईईएस) लांच की गई है।
- (xi) लाजिस्टिक कार्यकुशलता में सुधार लाने और प्रगति बढ़ाने पर जोर देने के लिए वाणिज्य विभाग में एक नए लाजिस्टिक प्रभाग का सृजन किया गया।
- (xii) 5 दिसंबर 2017 को आरंभ विदेश व्यापार नीति 2015-20 की मध्यावधि समीक्षा में निर्यात संवर्धन हेतु अधिक प्रोत्साहनों का प्रावधान है।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

डब्ल्यूटीओ सुधार

*90. श्री जी. हरि:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में सुधार करने के लिये आगे की व्यवस्था बनाने हेतु भारत कम से कम 150 देशों के साथ बातचीत कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था पर दबाव था तथा अनेक नये व्यापार प्रतिबंधकारी उपाय जिनसे वैश्विक व्यापार एवं आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता, अस्तित्व में आये थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि वैश्विक व्यापार का विस्तार डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं पर निर्भर है तथा जब तक वैश्विक व्यापार का विस्तार नहीं होता तब तक राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को लाभ नहीं होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या यह भी सच है कि सभी ठोस मुद्दों, जिन पर दोहा तथा अन्य व्यापारिक वार्ताओं में सहमति बनी तथा अन्य उत्पन्न नये मुद्दों का तत्काल समाधान किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री सुरेश प्रभु)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है ।

दिनांक 17 दिसम्बर 2018 को "डब्ल्यू टी ओ सुधारों " पर उत्तरार्थ लोकसभा के तारांकित प्रश्न सं. 90 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (घ): बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था को एकपक्षीय उपायों और प्रत्युपायों की अधिकता, वार्ता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गतिरोध तथा विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान व्यवस्था के अपीलीय निकाय के सदस्यों की नियुक्ति में जारी गतिरोध के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है । विकासशील देशों की विकास संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इनके बेहतर एकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नियम बनाने वाले निकाय के रूप में विश्व व्यापार संगठन के महत्व को देखते हुए भारत बहुपक्षीय व्यापारिक व्यवस्था का प्रबल समर्थक रहा है । भारत विश्व व्यापार संगठन सुधारों के उन प्रस्तावों पर विचार करना चाहता है जो संतुलित , समावेशी हों तथा विकास संबंधी मुद्दों सहित डब्ल्यूटीओ के मूलभूत सिद्धांतों का संरक्षण करते हों । भारत प्राथमिकता के आधार पर डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान व्यवस्था के संरक्षण का उपाय निकालने के लिए सदस्यों के साथ रचनात्मक रूप से कार्य कर रहा है ।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

चीन के बाजारों में भारतीय उत्पाद

*89. श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री रामदास सी. तडस:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा चीन के बाजार में पैठ बनाने के लिये चुनी गई वस्तुओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या चीन में बिक्री के लिये मछली एवं मछली के तेल के निर्यात हेतु किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये गये हैं/को अंतिम रूप दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसकी निबंधन एवं शर्तें क्या हैं; और

(घ) उन अन्य उत्पादों का ब्यौरा क्या है जिन्हें चीन के बाजार में ले जाने के लिए सरकार विशेष प्रयास कर रही है और इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री सुरेश प्रभु)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को “चीन के बाजार में भारतीय उत्पाद ” के संबंध में उत्तरार्थ लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 89 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (घ) : भारत सरकार विभिन्न भारतीय कृषि उत्पादों, पशु चारा, तिलहनों, दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों, औषधीय उत्पादों, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं आदि के लिए चीन के बाजारों में इन उत्पादों / सेवाओं की सम्भाव्यता के संबंध में बाजार पहुंच प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत है । विगत कुछ वर्षों में, भारतीय चावल, रेपसीड मील, फिशमील, मछली के तेल के निर्यात को सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉलों पर हस्ताक्षर किए गए हैं ।

दिनांक 20 मई , 2013 को भारत और चीन के मध्य मत्स्य उत्पादों के आयात और निर्यात व्यापार से संबंधित सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं । इस समझौता ज्ञापन के अनुरूप दिनांक 28 नवम्बर 2018 को भारत से चीन को फिशमील/ मछली के तेल के निर्यात के संबंध में स्वच्छता एवं निरीक्षण आवश्यकताओं संबंधी प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं । यह समझौता ज्ञापन निर्यातित फिशमील और मछली के तेल के प्रसंस्करण, भण्डारण , परिवहन, योज्य के उपयोग के संबंध में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया को परिभाषित करता है ।

दिनांक 17 दिसम्बर, 2018 को उत्तर दिये जाने के लिए

आरसीईपी समझौता

*85. श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (आरसीईपी) समझौते को अंतिम रूप दे दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आरसीईपी से स्थानीय उद्योग, कृषि क्षेत्र को नुकसान होगा तथा इससे कामगारों का शोषण भी होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आरसीईपी पर गुप्त तरीके से वार्ता की जाती है और इससे बड़ी कंपनियों को फायदा होने तथा भारतीय कृषि, उद्योग और ई-कॉमर्स क्षेत्रों के लिये खतरा पैदा होने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या आरसीईपी के भागीदार सदस्य देशों ने अपनी स्थिति को पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया है और संगत दस्तावेजों को प्रभावित देशों के साथ साझा नहीं किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री सुरेश प्रभु)

(क) से (ङ.) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है ।

दिनांक 17.10.2018 को " आरसीईपी समझौता " के संबंध में उत्तरार्ध लोकसभा के तारांकित प्रश्न संख्या 85 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) से (ड.) : जी नहीं , क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसीईपी), जो दस आसियान सदस्य देशों और इनके छः मुक्त व्यापार करार (एफटीए) साझेदारों नामतः भारत, ऑस्ट्रेलिया , चीन , जापान, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य के मध्य प्रस्तावित एक मुक्त व्यापार करार, को अब तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है । सरकार देश की स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए उद्योग , कृषि एवं ई - कामर्स आदि क्षेत्रों सहित विभिन्न क्षेत्रों के हितधारकों के साथ नियमित रूप से परामर्श करती है । सदस्य देशों से यह आशा की जाती है कि वे अपनी वार्ता की अवस्थिति में गोपनीयता के सिद्धांत का सम्मान करें ।

“निर्यात और आयात” से संबंधित 17 दिसंबर, 2018 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 82 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): भारत से व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात का मूल्य अक्टूबर 2017 के 22.89 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 17.88 प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धि के साथ अक्टूबर 2018 में 26.98 बिलियन अमरीकी डालर रहा। मौजूदा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-अक्टूबर 2018) के दौरान व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 13.13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आयात के साथ निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हिस्सा है तथा इस तरह इसमें इनका योगदान होता है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में निर्यात और आयात दोनों के बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हुई है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) से उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व के व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 2016 में 1.65 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2017 में 1.68 प्रतिशत हो गया। इसके अलावा भारत का निर्यात सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि का एक मुख्य स्रोत है। ये वर्ष 2017-18 में जीडीपी के लगभग 19 प्रतिशत हैं।

(ग): अक्टूबर 2017 की तुलना में अक्टूबर 2018 में प्रतिशत हिस्से तथा प्रतिशत वृद्धि सहित देश से निर्यात किए गए मुख्य उत्पादों का विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

(घ): भारत में पेट्रोलियम क्रूड और उत्पादों का आयात अक्टूबर 2017 में 9.31 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में अक्टूबर 2018 में 53.06% की सकारात्मक वृद्धि के साथ 14.25 बिलियन अमरीकी डालर रहा। भारत के कुल आयात में पेट्रोलियम क्रूड और उत्पादों का हिस्सा वर्ष अक्टूबर 2017 में 24.82 प्रतिशत से बढ़कर अक्टूबर 2018 में 32.22 प्रतिशत हो गया है।

(ड.): वर्ष 2014-15 से 2018-19 (अप्रैल-अक्टूबर) में भारत से प्रमुख उत्पादों के निर्यात का ब्यौरा **अनुलग्नक-II** तथा वर्ष 2014-15 से 2018-19 (अप्रैल-अक्टूबर) में भारत के प्रमुख उत्पादों के आयात का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

दिनांक 17 दिसंबर 2018 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 82 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

प्रमुख वस्तुओं के लिए भारत का निर्यात		(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)			
क्र. सं.	प्रमुख वस्तुएं	अक्टूबर, 2017	अक्टूबर, 2018 *	अक्टूबर, 18 में प्रतिशत हिस्सा	अक्टूबर, 17 की तुलना में अक्टूबर, 18 में प्रतिशत परिवर्तन
1	इंजीनियरिंग सामान	5854.78	6374.28	23.63	8.87
2	पेट्रोलियम उत्पाद	3043.43	4542.72	16.84	49.26
3	रत्न और आभूषण	3309.64	3490.59	12.94	5.47
4	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	1382.17	1852.27	6.87	34.01
5	औषध और भेषज	1342.20	1514.51	5.61	12.84
6	सभी वस्त्रों का आरएमजी	830.02	1130.95	4.19	36.26
7	सूती धागे / कपड़े / मेडअप्स, हथकरघा उत्पाद आदि	826.05	910.46	3.37	10.22
8	इलेक्ट्रॉनिक सामान	456.11	785.79	2.91	72.28
9	प्लास्टिक और लिनोलियम	546.56	720.86	2.67	31.89
10	समुद्री उत्पाद	734.68	689.42	2.56	-6.16
11	चावल	537.43	452.67	1.68	-15.77
12	मानवनिर्मित धागे / कपड़े / मेडअप्स आदि	355.23	412.48	1.53	16.12
13	चमड़ा और चमड़ा विनिर्माण	369.35	412.06	1.53	11.56
14	मांस, दुग्ध और कुक्कुट उत्पाद	466.95	362.41	1.34	-22.39
15	अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रक्रिया सहित खनिज	245.42	313.78	1.16	27.85
16	मसाले	224.04	263.09	0.98	17.43
17	फल और सब्जियां	172.67	227.71	0.84	31.87
18	सिरेमिक उत्पाद और ग्लासवेयर	150.48	226.66	0.84	50.62
19	हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर हस्तशिल्प	133.75	146.35	0.54	9.42
20	गलीचा	102.59	137.60	0.51	34.13
21	अनाज विनिर्माता और विविध संसाधित वस्तुएं	105.91	133.41	0.49	25.97
22	लौह अयस्क	115.22	130.56	0.48	13.31
23	तिलहन	85.82	83.75	0.31	-2.42
24	खली	65.50	80.78	0.30	23.33
25	चाय	71.25	77.88	0.29	9.31
26	तंबाकू	79.56	70.78	0.26	-11.04
27	कॉफी	61.12	49.80	0.18	-18.52

28	काजू	81.63	48.03	0.18	-41.16
29	फ्लोर कवरिंग सहित जूट विनिर्माण	23.15	26.10	0.10	12.75
30	अन्य अनाज	23.65	23.61	0.09	-0.17
31	अन्य	1092.31	1289.04	4.78	18.01
भारत का कुल निर्यात		22888.70	26980.41	100.00	17.88

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता (*: अनंतिम)

अनुलग्नक- II

दिनांक 17 दिसंबर 2018 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 82 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

प्रमुख वस्तुओं के लिए भारत का निर्यात		(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)					
क्र. सं.	प्रमुख वस्तुएं	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18 (अप्रैल- अक्टूबर)	2018-19 (अप्रैल- अक्टूबर)*
1	इंजीनियरिंग सामान	73074.84	61949.53	67216.12	78695.69	43117.76	48016.73
2	पेट्रोलियम उत्पाद	56794.15	30582.64	31545.26	37465.08	19533.84	28481.44
3	रत्न और आभूषण	41266.07	39284.27	43412.76	41544.44	24660.70	24259.51
4	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	14425.41	13696.98	14476.86	18508.50	9673.55	12714.80
5	औषध और भेषज	15431.50	16909.49	16785.00	17282.81	9643.89	10802.43
6	सभी वस्त्रों का आरएमजी	16833.32	16964.36	17368.15	16706.94	10004.57	8846.16
7	सूती धागे / कपड़े / मेडअप्स, हथकरघा उत्पाद आदि	10774.60	10119.36	9862.20	10260.36	5711.85	6678.72
8	प्लास्टिक और लिनोलियम	5745.98	5764.18	5796.46	6851.13	3687.20	4963.28
9	इलेक्ट्रॉनिक सामान	6260.75	5959.52	5962.93	6393.12	3512.38	4666.05
10	चावल	7853.12	5846.62	5733.79	7806.15	4411.92	4232.23
11	समुद्री उत्पाद	5510.49	4767.51	5903.06	7389.22	4480.26	4155.63
12	चमड़ा और चमड़ा विनिर्माण	6030.48	5407.84	5165.60	5289.13	3088.40	3051.08
13	मानवनिर्मित धागे / कपड़े / मेडअप्स आदि	5275.03	4621.66	4557.08	4826.33	2756.21	2922.30
14	मांस, दुग्ध और कुक्कुट उत्पाद	5385.00	4575.47	4368.79	4610.06	2596.81	2584.17
15	अभ्रक, कोयला और अन्य अयस्क, प्रक्रिया सहित खनिज	3903.50	3656.04	3578.16	3776.88	2040.69	2384.45
16	मसाले	2430.35	2541.46	2851.95	3115.37	1751.50	1830.53
17	सिरेमिक उत्पाद और ग्लासवेयर	1644.38	1712.05	1856.63	2131.78	1212.86	1440.92
18	फल और सब्जियां	2153.51	2268.81	2454.72	2513.33	1268.13	1326.70
19	हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर हस्तशिल्प	1378.04	1648.00	1926.75	1823.34	1053.25	1054.93
20	अनाज विनिर्मिति और विविध संसाधित वस्तुएं	1257.70	1319.75	1270.85	1416.64	789.01	887.63
21	गलीचा	1360.77	1440.07	1490.19	1429.82	839.11	851.43
22	खली	1324.17	553.01	805.45	1093.16	534.80	651.79

23	लौह अयस्क	515.27	191.46	1533.53	1471.06	783.23	643.82
24	तिलहन	1735.38	1246.89	1355.23	1174.34	573.23	637.96
25	तंबाकू	958.62	982.01	958.69	934.25	524.67	564.28
26	काँफी	814.02	783.87	842.84	968.57	572.25	479.66
27	चाय	681.79	720.03	731.26	837.36	462.60	463.95
28	काजू	909.26	768.55	786.93	922.41	568.98	359.80
29	अन्य अनाज	869.11	261.18	212.30	248.59	119.19	215.56
30	फ्लोर कवरिंग सहित जूट विनिर्माण	296.96	295.36	309.95	335.08	199.40	193.66
31	अन्य	17458.41	15453.12	14732.96	15705.21	8469.99	10158.00
भारत का कुल निर्यात		310352.01	262291.09	275852.43	303526.16	168642.24	190519.56

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता (*: अनंतिम)

दिनांक 17 दिसंबर 2018 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 82 के भाग (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

प्रमुख वस्तुओं के लिए भारत का आयात		(मूल्य अमेरिकी मिलियन डॉलर में)					
क्र. सं.	प्रमुख वस्तुएं	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2017-18 (अप्रैल- अक्तूबर)	2018-19 (अप्रैल- अक्तूबर)*
1	पेट्रोलियम, कूड और उत्पाद	138325.51	82944.47	86963.84	108658.69	55780.72	84233.63
2	इलेक्ट्रॉनिक सामान	37539.99	40939.82	42878.89	52890.68	30482.15	35623.01
3	मशीनरी, विद्युतीय और गैर-विद्युतीय	27296.15	28518.21	27497.28	32908.94	18086.40	22278.77
4	सोना	34407.18	31770.74	27518.03	33657.21	19930.54	19440.78
5	मोती, बहुमूल्य और अर्ध-मूल्यवान पत्थर	22598.25	20069.95	23808.59	34278.91	19708.71	16246.46
6	कोयला, कोक और ब्रिकेट्स, आदि	17802.56	13667.59	15759.93	22901.23	12274.26	15323.22
7	कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन	18593.02	16586.38	16598.44	20631.46	11485.01	14434.56
8	परिवहन उपकरण	18345.36	18227.84	22687.67	22732.55	12318.44	10724.59
9	लोहा और इस्पात	16301.34	14977.55	11683.05	14617.59	8328.65	10272.00
10	कृत्रिम रेसिन, प्लास्टिक सामग्री, आदि	12070.29	11794.55	11963.97	14487.66	8389.59	9400.27
11	गैर-लोह धातु	10746.13	9726.13	9868.83	12811.67	7154.98	8897.29
12	वनस्पति तेल	10621.48	10492.08	10892.75	11637.48	7234.08	6080.12
13	धातु लौह अयस्क और अन्य खनिज	9299.43	7298.63	6194.20	9096.90	4855.61	4770.27
14	रासायनिक सामग्री और उत्पाद	5305.97	5151.83	5375.11	6663.38	3664.72	4523.52
15	उर्वरक, कच्चे और विनिर्मित	7398.71	8071.52	5023.97	5376.34	3512.95	4258.29
16	औषधीय और भेषज उत्पाद	5432.76	5439.97	4994.96	5480.69	3010.13	3789.86
17	लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद	5471.00	5048.12	4891.78	6027.35	3523.43	3597.16
18	व्यावसायिक उपकरण, ऑप्टिकल सामान, आदि	3714.54	3621.73	3857.24	4754.56	2722.23	2985.60
19	मशीन टूल्स	3137.17	2757.46	3034.56	3519.58	1861.38	2664.16
20	चांदी	4523.51	3742.74	1839.17	3213.80	2081.63	2312.48

21	रंगाई / टैनिंग / रंग सामग्री	2447.75	2247.53	2282.69	2887.51	1645.27	1964.86
22	फल और सब्जियां	1665.67	1853.34	1783.43	2092.60	1158.56	1248.77
23	परियोजना सामान	3631.43	2761.07	2074.44	2077.61	1251.53	1188.77
24	वस्त्र धागे, कपड़े, मेडअप मर्चे	1691.54	1715.14	1502.50	1837.29	1056.00	1137.39
25	लुगदी और अपशिष्ट कागज	944.02	955.72	975.14	1154.55	701.77	775.55
26	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद	1005.06	968.07	935.33	1009.17	583.09	618.95
27	न्यूजप्रिंट	839.25	805.41	849.88	776.67	504.53	589.25
28	दलहन	2786.11	3902.22	4244.13	2908.33	2085.64	558.12
29	कपास कच्चे और अपशिष्ट	508.80	394.10	946.88	979.32	805.69	455.35
30	सल्फर और अनरोस्टेड लौह पाइरेट्स	286.41	217.10	131.19	165.88	71.50	99.85
31	अन्य	23297.03	24340.75	25299.15	23345.40	13649.01	13263.05
भारत का कुल आयात		448033.41	381007.76	384357.03	465580.99	259918.18	303755.93

स्रोत: डीजीसीआई एंड एस, कोलकाता (*: अनंतिम)